

संदर्भ क्र. Ref. No.: HO:IRC:UR:2025-26:246

दिनांक Date: 14.10.2025

Scrip Code: BANKINDIA	Scrip Code : 532149
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

महोदय/महोदया Dear Sir/Madam,

Re: Bank of India – Notice of Extraordinary General Meeting

We advise that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of our Bank has been scheduled as per details given below:

1	Date / Time	Friday, 7 th November, 2025 at 1.00 PM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)
2	Agenda / Business	1. Election of One Shareholder Director from amongst the Shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. 2. To consider and approve extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank. 3. To consider and approve extension of term of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.
3	Specified / Cut-Off date	For Agenda item Number - 1: 13 th October, 2025 – To nominate, contest and vote at the Meeting. For Agenda item Number – 2 &3: 31 st October, 2025 – For attendance at the Meeting and voting.
4	Remote E-voting	From 9.00 AM on 03 th November, 2025 to 5.00 PM on 6 th November, 2025.
5	Last date for submission of nominations	23 rd October, 2025 upto 5.00 PM

- We also attach a copy of Notice of EGM for further details.
- We request you to take the above on record.

भवदीय Yours faithfully,



(Rajesh V Upadhya)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: EGM Notice

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

BOI



असाधारण आम बैठक

शुक्रवार 07 नवंबर, 2025, दोपहर: 1.00 बजे

वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) एवं

अन्य ओडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से

Extraordinary General Meeting

Friday, the 7th November, 2025 at 1:00 PM

Through Video Conference (VC) and
other Audio Visual Modes (OAVM)

प्रधान कार्यालय:

स्टार हाउस, सी- 5, 'जी' ब्लॉक
बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051



बैंक ऑफ़ इंडिया

रिशतों की जमापूँजी

HEAD OFFICE:

STAR HOUSE, C-5, 'G' BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST),
MUMBAI - 400 051



विषय	पृष्ठ संख्या	Contents	Page No.
नोटिस	3	Notice	47
व्याख्यात्मक विवरण	5	Explanatory Statement	49
प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमनों का अंश	15	Extract of Relevant Acts and Regulations	57
नामांकन प्रारूप	28	Nomination Form	67
उदघोषणा पत्र	29	Declaration Form	68
व्यक्तिगत जानकारी की उदघोषणा तथा वचनबद्धता	32	Personal Information Declaration and Undertaking	71

कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण तारीख		
Important Calendar of Events		
चुनाव/बैठक में सहभागिता हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट ऑफ/ निर्धारित तारीख	Cut-off / Specified date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the Election/ Meeting	मद संख्या -1: सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 मद संख्या-2: शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 मद संख्या-3: शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 Item No.-1: Monday, October 13, 2025 Item No.-2: Friday, October 31, 2025 Item No.-3: Friday, October 31, 2025
नामांकन फार्म जमा करने के लिए अंतिम तारीख	Last Date of Submission of Nomination Forms	गुरुवार, 23 अक्टूबर, 2025 Thursday, October 23, 2025
नामांकनों की जांच	Scrutiny of Nominations	शुक्रवार, 24 अक्टूबर, 2025 Friday, October 24, 2025
नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख	Last date for withdrawal of candidature	शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 Friday, October 31, 2025
ई वोटिंग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए संकल्प को प्राप्त करने हेतु अंतिम तारीख	Last date for Receipt of Resolutions appointing Authorised Representatives	शनिवार, 1 नवंबर, 2025 Saturday, November 1, 2025
ई-वोटिंग तारीख	Evoting Dates	सोमवार 03 नवंबर, 2025 से गुरुवार, 06 नवंबर, 2025 Monday – November 03, 2025 to Thursday – November 06, 2025
वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) तथा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से असाधारण आम बैठक की तारीख तथा समय	Date and Time of Extra ordinary General Meeting through Video Conference (VC) and other Audio Visual Means (OAVM)	शुक्रवार, 07 नवंबर 2025 Friday, November 07, 2025
असाधारण आम बैठक के वेन्यू का मानित (डीमड) स्थान	Deemed Venue of the Extraordinary General Meeting Venue	बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 Bank of India, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051



बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI



प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051

Head Office : Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक शुक्रवार, 07 नवंबर, 2025 को दोपहर: 1.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वी.सी.)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से, निम्नलिखित कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

विशेष कारोबार

मद सं. 1

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3)(i) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसे 'योजना' के रूप में संदर्भित किया है) और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बनाये गए, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन, 2007 (इसके बाद इसे 'विनियमन' के रूप में संदर्भित किया गया है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (इसके बाद सेबी सूचीकरण विनियम के रूप में संदर्भित) यथा संशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर/एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 (इसके बाद इसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना' संदर्भित किया गया है) तथा 25 मार्च, 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर अधिकारिक निदेशकों के रूप में विचार करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिपादित मानदण्डों के साथ पठित भारत सरकार की दिनांक 3 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या एफ.सं. 16/83/2013-बीओ.आई. तथा इसके अंतर्गत किये गये किसी संशोधन (इसके बाद इसे "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित किया जायेगा) की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित संकल्प को पारित करने के माध्यम से, बैंक के शेयरधारकों में से (केन्द्र सरकार से भिन्न) एक निदेशक के चयन हेतु :-

"संकल्प पारित किया जाता है कि संबंधित योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बनाए गए विनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक को, शेयरधारक निदेशक 29 नवंबर 2025 से निदेशक के रूप में पदग्रहण करने और ऐसा पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पदधारण करने के लिए एतद्-द्वारा नियुक्त किया जाता है।"

उपर्युक्त संकल्प को सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 25 (2ए)के प्रावधानों के तहत भी पारित माना जाएगा।

मद सं. 2

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी.आर. राजगोपाल का कार्यकाल विस्तार।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प लिया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल का कार्यकाल विस्तार, अधिसूचना संदर्भ [ईएफ.सं.4/4(x)/2024-बीओ.आई, दिनांक 15.09.2025 वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी] उनके पूर्व अधिसूचित कार्यकाल से आगे, जो 28.02.2026 को समाप्त हो रहा है, सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31.07.2027 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"


मद सं. 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार का कार्यकाल विस्तार ।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

“ यह संकल्प लिया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार का कार्यकाल विस्तार, अधिसूचना संदर्भ [ईएफ.सं.4/4(iii)/2024-बीओ.आई, दिनांक 15.09.2025 वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी] उनके पूर्व अधिसूचित कार्यकाल से परे, जो 20.11.2025 को समाप्त हो रहा है, तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कते बैंक ऑफ इंडिया



(रजनीश कर्नाटक)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 अक्टूबर , 2025

टिप्पणियां

व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण देते हुए व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक (ईजीएम)

परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 सहित मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से एमसीए (कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय) ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कंपनी को अपनी ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। **ईजीएम हेतु निर्धारित स्थान मुंबई में बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।**

2. वोट देने का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास रखे हुए बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के, दस प्रतिशत से अधिक वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन,

ए) प्रत्येक शेयरधारक जो **निर्दिष्ट तिथि** यानी **सोमवार, 13 अक्टूबर 2025** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, बैंक के एक शेयरधारक निदेशक (चुनाव) के चुनाव में भाग लेने (नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने) का हकदार होगा और

बी) प्रत्येक शेयरधारक जो **कट-ऑफ तिथि** यानी **शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, नोटिस के मद सं. 2 एवं 3 पर मतदान करने का हकदार होगा।

संबंधित विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नाम के व्यक्ति को, उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा। अतः यदि शेयर, संयुक्त धारक के नाम से हैं तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को, बैठक में उपस्थित होने का हक होगा और वही बैठक में वोट देने का हकदार होगा।

3. परोक्षी की नियुक्ति:

चूँकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः शेयरधारक सीधे बैठक में शामिल हो सकते हैं तथा वोट कर सकते हैं तथा उनकी ओर से वोट में शामिल होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई कंपनी, जो बैंक का शेयरधारक है, उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पूर्वोक्त बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति को, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें यह पारित किया गया था, को डू प्रति के रूप में प्रमाणित नहीं कर दिया गया हो और वह बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को या उपर्युक्त संकल्प की स्कैन प्रति scrutinizer@snaco.net को तथा इसकी प्रतिलिपि को headoffice.share@bankofindia.co.in को ईमेल न किया गया हो तथा **शनिवार, 1 नवंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे** से पहले प्रस्तुत न कर दिया गया हो।

5. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र-सह-बैलट पेपर पास :

चूँकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः ई.जी.एम. में शामिल होने के लिए किसी उपस्थिति पर्ची की आवश्यकता नहीं है।

6. पते में परिवर्तन :

भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अपने पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना बैंक के शेयर एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें :-

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,

यूनिट: बैंक ऑफ़ इंडिया,

ऑफिस नं एस 6-2, 6ठी मंज़िल, पिनैकल बिज़नस पार्क,

अहूरा सेंटर के पास, महाकाली केक्स रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 093

टेलि. : 22 - 62638200,

ई-मेल : investor@bigshareonline.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(टों) को ही, अपने पंजीकृत पते तथा ईसीएस मैन्डेट विवरणों में परिवर्तन, यदि कुछ हो तो, सूचित करें।

व्याख्यात्मक विवरण

● निदेशक का चुनाव :

मद सं. 1

दिनांक 30-09-2025 तक बैंक ऑफ़ इंडिया में सार्वजनिक शेयरधारिता 26.62% है। बैंक दो शेयरधारक निदेशकों को चुनने के लिए पात्र है। वर्तमान शेयरधारक निदेशकों में से एक, श्री विश्वनाथ वी शेनोय दिनांक 28-11-2025 को अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।

26-9-2025 को आयोजित बैठक में अनुमोदित निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित रिक्ति को भरने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने शुक्रवार 7-11-2025 को आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव करने का प्रस्ताव करता है।

अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त), विभिन्न संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियमों/अधिसूचना में दी गई विभिन्न प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके संगत उद्धरण/अंश यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकनों की जांच के पश्चात तथा बोर्ड की नामांकन पारिश्रमिक समिति द्वारा उन्हें उचित एवं उपयुक्त पाए जाने पर या बाद में असाधारण आम बैठक में उनके चुनाव के पश्चात, एक निदेशक का चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार चुने गए निदेशक, शेयरधारक निदेशक 29 नवंबर 2025 से निदेशक के रूप में पदग्रहण करेंगे और ऐसा पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पदधारण करेंगे।

• **विधिक प्रावधान**

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियम अधिनियम/ योजनाओं/ विनियमों/ अधिसूचनाओं में दिए प्रावधानों का उल्लेख किया गया है :

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त ब्यौरे
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई)	➤ पर्याप्त हित
	धारा 16 (1)	➤ समान निदेशकों पर रोक
	धारा 20	➤ अपने किसी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	➤ वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए) (ए) से (सी)	➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए)	➤ कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु पात्र तभी होगा जब ट्रैक रिकार्ड के आधार पर वह उचित एवं उपयुक्त हो, ईमानदार हो और ऐसी अन्य शर्तें पूरी करता हो जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किये जाए।
	धारा 9(3एबी)	➤ उपयुक्त एवं उचित स्थिति निर्धारित करने का प्राधिकार,
	धारा 9(3बी)	➤ उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले किसी चयनित निदेशक को हटाने का आरबीआई का अधिकार।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	धारा 13(2)	➤ ईमानदारी एवं गोपनीयता की बाध्यता।
	खण्ड 9(4)	➤ चुने हुए निदेशकों का कार्यकाल
	खण्ड 10	➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता
	खण्ड 11	➤ निदेशक का कार्यालय खाली करना
	खण्ड 11ए	➤ चुने गए निदेशक को कार्यालय से हटाना
	खण्ड 11बी	➤ किसी चुने हुए निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तता को भरना
बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007	खण्ड 12(8)	➤ जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित है उनमें उनके द्वारा हितों का प्रकटन
	विनियम 10	➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
	विनियम 61	➤ आम बैठकों में मतदान
	विनियम 63	➤ आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव
	विनियम 64	➤ शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	➤ चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	➤ नामांकनों की जांच
	विनियम 67	➤ चुनाव विवाद
	विनियम 68	➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
विनियम 70	➤ परोक्षी	

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त ब्यौरे
आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर/एपीपीटी संख्या:9/ 29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एवी) के अनुरूप	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के उपयुक्त एवं उचित होने हेतु शर्त
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का संदर्भ फ. सं. 16/83/2013-बीओ.आई दि. 3 सितंबर, 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर शासकीय निदेशक (एन.ओ.डी.) के चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें, जो 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई 2016 को जारी किए गए थे।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों (एन.ओ.डी.) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2014-मास्टर परिपत्र डीबीओडी. नं.डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना
सेबी [सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम/योजना/विनियमन और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं.:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश दि. 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई 2016 के संगत उद्धरण को बैंक के वेबसाइट पर दिया जाएगा। कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया को उनके प्रधान कार्यालय के ईमेल Headoffice.share@Bankofindia.bank.in पर नामांकन फार्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् गुरुवार, **23 अक्टूबर, 2025** को या उसके पूर्व, कंपनी सचिव को संबोधित निवेदन की प्राप्ति पर, इच्छुक अभ्यर्थी को ऐसे प्रासंगिक अंशों को ईमेल किया जायेगा।

- **निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि**

बैंक ने निम्नलिखित निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथियां तय की हैं:

- **एजेंडा मद सं. 1 के लिए:**

चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों की सूची निर्धारित करने के लिए **सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025** यानी केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए **नामांकन, चुनाव लड़ना और मतदान करना।**

- **एजेंडा मद सं. 2 एवं 3 के लिए:**

मतदान के लिए **शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025।**

- **चुनाव में प्रतिभागिता:**

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **निर्दिष्ट तारीख अर्थात् सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025** को मद संख्या 1 हेतु एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/हितकारी मालिकों के रजिस्टर में हों, भाग लेने हेतु पात्र होंगे अर्थात् केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने हेतु** पात्र होंगे।

ए) बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक अर्हताएं

संबंधित अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसे-

- निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :-
 - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो। (आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के माध्यम से, ऐसे व्यक्तियों जिन पर बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, के लिए (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) कारोबार प्रबंधन शामिल करके विशेषज्ञता के क्षेत्र में विस्तार किया है)
- जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या
- किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के अनुसार एक उम्मीदवार जो शेयरधारक होने के नाते बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसे 'उपयुक्त और उचित' स्थिति में होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा 3(ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और यथा आवश्यक या प्रासंगिक ऐसे अन्य मामलों को भी निर्दिष्ट कर सकता है।

इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को वचन विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

सी) बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अयोग्यताएं

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार निम्नलिखित तरह का व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और निदेशक बनने हेतु अयोग्य है:
- यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या उनके साथ कोई समझौता किया हो, या
 - यदि अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने उसे अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो, या

- यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी क्रिमिनल न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर, यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो, और
- यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 के साथ पठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के **बोर्ड की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति** द्वारा 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति नहीं पाया गया हो।

डी) शेयरधारकों की सूची

बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बँठकें) विनियमन, 2007 के विनियम 64 के अनुसार शेयर धारकों की सूची बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, वित्त विभाग से गुरुवार, **16 अक्टूबर, 2025** से इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में, मांग किए जाने पर, रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) + लागू करों की कीमत पर उपलब्ध होगी। शेयरधारकों द्वारा ए4 आकार के पेज साइज़ पर प्रिंटेड शीट हेतु प्रति पृष्ठ @ रु. 20/- + लागू करों की दर से बैंक ऑफ़ इंडिया के पक्ष में देय मांग ड्राफ्ट/पे ऑर्डर भुगतान करना होगा। इस सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवार को यह वचन देना होगा कि वे इस सूची का प्रयोग केवल इस चुनाव में प्रचार हेतु करेंगे और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे।

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी प्रकार का कोई उद्धरण प्राप्त करने के लिए प्रतियोगियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य हेतु 16 अक्टूबर, 2025 से 6 नवंबर 2025 तक सभी कार्य दिवसों में (रविवार और बैंक अवकाश छोड़कर) दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड महामारी की परिस्थिति के कारण, ऐसे शेयरधारक जो शेयरधारकों के रजिस्टर की जांच करने के इच्छुक हैं, उन्हें जांच करने के कम से कम कार्यदिवस दिन पूर्व बैंक के कंपनी सचिव को ईमेल headoffice.share@bankofindia.bank.in एवं दूरभाष 022-66684490 पर सूचित करना आवश्यक है।

ई) चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

विनियमन 65 के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना –आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं.:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र सं. एफ नं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनओडी के रूप में चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2015 एवं 20 जुलाई 2016 को निर्धारित शर्तों (जीओआई दिशानिर्देश) तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते कि:

- वह बैंक ऑफ़ इंडिया में यथा निर्धारित तारीख **सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025** को, जो चुनाव में प्रतियोगिता हेतु **निर्धारित तारीख** है, बैठक की तारीख तक न्यूनतम 100 शेयर रखता/रखती है तथा यदि वह चुना जाता/ चुनी जाती है तो अपने कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर रखता/रखती है।
- नामांकन लिखित में है और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके यथाविधि संघटित अटर्नी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये हैं, बशर्ते कि कंपनी के रूप में शेयरधारक होने की स्थिति में नामांकन संबंधित कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस तरह से नामांकन करने

की स्थिति में जिस बैठक में इस तरह का संकल्प पारित किया जाए उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित हो और बैंक के कंपनी सचिव को संबोधित हो तथा इस तरह भेजी गई प्रतिलिपि को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

- नामांकन के साथ घोषणा संलग्न हो जो किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित हो और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए इच्छुक है और उसे या तो अधिनियम या योजना या विनियमन /आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देश के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है और साथ में विधिवत हस्ताक्षरित उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (जीवनवृत्त) संलग्न हों जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि ऐसे ब्यौरे उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सही और एक वचनबंध भी संलग्न हो कि वह घोषणा के पश्चात प्रस्तुत जानकारी से सम्बद्ध ऐसी घटनाओं की पूरी जानकारी बैंक को यथाशीघ्र देगा/देगी।
- नामांकन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख **गुरुवार, 23 अक्टूबर, 2025** तक की स्थिति के अनुसार, वह अधिनियम/योजना/विनियम/आरबीआई अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देश के अन्तर्गत निदेशक होने से अयोग्य (डिस-क्वालीफाइड) नहीं कर दिया जाता/जाती है।
- नामांकन फॉर्म एवं घोषणा फॉर्म वैसी हैं जैसा कि विनियम द्वारा निर्धारित है तथा प्रोफार्मा के रूप में इस नोटिस के साथ संलग्न हैं।
- बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 2007 (इसके बाद इसे "विनियमों" कहा जायेगा) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं.:9/29.67.001/ 2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 एवं भारत सरकार के दिनांक 25.03.2015 के दिशानिर्देश, संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 8 जुलाई, 2016 जो भारत सरकार के पत्र सं एफ़. सं 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा अग्रेषित तथा इसमें किसी भी संशोधन के अंतर्गत, गैर-शासकीय निदेशकों के लिए जैसा लागू है, निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

एफ) नामांकन फॉर्म को जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों के बीच से बैंकों के निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित कागजात इस नोटिस के साथ संलग्न फॉर्मेट में एक **सीलबंद लिफाफे** में, जिसके ऊपर "**बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक का चुनाव - नवंबर 2025**" लिखा हो, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/ कूरियर के माध्यम से **कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस -1, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुंबई-400 051** को असाधारण आम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले अर्थात् **गुरुवार, 23 अक्टूबर, 2025** को शाम 5.00 बजे या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर जमा करने हैं।

- ए) विधिवत् भरा गया घोषणा फॉर्म;
- बी) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों में से न्यूनतम 100 का वैध नामांकन;
- सी) सूचना के साथ संलग्न प्रारूपों में संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों अर्थात् आत्म-विवरण की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ, शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाणपत्र, अनुभव आदि सहित व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचनबद्धता।
- डी) केवाईसी दस्तावेज़ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस और बीओआई शेयरधारिता प्रमाण स्वरूप डीमेट विवरणी की स्व-सत्यापित प्रति

ई) कथित नामांकन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण हों, अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं।

जी) नामांकनों की जाँच एवं निदेशकों का चुनाव:

ए) नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अगले प्रथम कार्य दिवस को, अर्थात् **शुक्रवार 24 अक्टूबर, 2025** को बैंक के द्वारा नामांकनों की जाँच की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे उसके वैध न पाये जाने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात् रद्द कर दिया जायेगा।

बी) वैध नामांकन, आरबीआई अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार बोर्ड की नामांकन एवं परिश्रमिक समिति (एनआरसी) की जाँच के अध्यक्षीन हैं। आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देश में दिए गए प्रतिबंध एक समान होने के कारण बैंक उम्मीदवार की उपयुक्त और उचित स्थिति पर विचार करते समय दोनों में से जो अधिक कड़ा है उसे संज्ञान में लेगा।

सी) नामांकन की जांच प्रक्रिया के समय या बोर्ड की एनआरसी के द्वारा यथा सूचित, अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में उम्मीदवार से बैंक अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज आदि मांग सकता है।

डी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन हो तो यथा नामांकित उम्मीदवार उसी समय से निर्वाचित माने जाएंगे और उनका नाम तथा पता उक्त प्रकार से निर्वाचित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। (विनियमन 66(i))

ई) यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं तो चुनाव आयोजित किया जाएगा और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजयी माना जाएगा और उसका नाम समाचार पत्रों तथा बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

एफ) नए चयनित निदेशक केवल 29 नवंबर, 2025 से प्रभावी रूप से अपना कार्यभार संभालेंगे।

एच) ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग

यदि चुनाव होता है तो वह बैठक में रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग के माध्यम से होगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश और इस नोटिस का अभिन्न अंग बनने वाले विवरण इस नोटिस में कहीं और दिए जा रहे हैं।

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त एक निष्पक्ष सलाहकार (स्कूटिनाइज़र) की सहायता से, बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा संचालित की जाएगी।

➤ **07 नवंबर, 2025 को चुनाव प्रक्रिया**

निदेशक के चुनाव के लिए वोटिंग ई-वोटिंग के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में बैठक के अध्यक्ष के द्वारा घोषणा के तुरंत बाद वोटिंग आरंभ होगी तथा बैठक समाप्त होने के बाद 15 मिनट तक जारी रहेगी। वोटों की संख्या निर्दिष्ट तिथि अर्थात् **सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025** को उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

वोटों की गिनती उसके बाद की जाएगी तथा बैठक के अध्यक्ष या उनके पक्ष में बैंक के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा परिणामों की घोषणा की जाएगी तथा समाचार पत्रों तथा बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

आई) नामांकन वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह **शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025** को किसी भी समय अर्थात् शाम 5.00 बजे या उससे पूर्व कंपनी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस -1, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुंबई -400051 को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र या उसकी स्केन प्रति ईमेल से headoffice.share@

bankofindia.co.in को भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

जे) विवाद

यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बँडके) विनियम, 2007 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

के) उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा के लिए लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रासंगिक भाग अनुलग्नक में दर्शाये गए हैं।

एल) निदेशकों का हित

शेयरधारिता की सीमा तक बैंक के निदेशकों तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है, उन्हें कारोबार के पूर्वोक्त मदों में हितबद्ध या संबंध रखने वाले माना जाएगा।

मद संख्या 2

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल के विस्तार का **अनुमोदन करना।**

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 15 सितंबर 2025 के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक, श्री पी आर राजगोपाल का कार्यकाल उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल जो 28.02.2026 को समाप्त हो रहा है, को आगे बढ़ाकर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, अर्थात् 31.07.2027 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कर दिया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल के विस्तार के लिए ईजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

संक्षिप्त परिचय:

श्री पी. आर. राजगोपाल, आयु 58 वर्ष, को बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 1995 में बैंक ऑफ़ इंडिया में अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और वर्ष 2000 में वरिष्ठ प्रबंधक हुए। वे भारतीय बैंक संघ में कानूनी सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वर्ष 2004 तक बैंक ऑफ़ इंडिया में वापस आने से पहले तक आईबीए में कार्यरत रहे। वे 2004 में यूनिजन बैंक ऑफ़ इंडिया में शामिल हुए और 2016 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए। कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने के उपरांत, वे 01.03.2019 को इलाहाबाद बैंक में नियुक्त हुए। उन्होंने 18 मार्च, 2020 को बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

श्री पी.आर. राजगोपाल या उनके सगे-संबंधियों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके सगे-संबंधियों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि रखने वाला या संबंधित नहीं माना जाएगा।

मद संख्या 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार के कार्यकाल के विस्तार का **अनुमोदन करना।**

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 15 सितंबर 2025 के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री सुब्रत कुमार के कार्यकाल को उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल जो 20.11.2025 को समाप्त हो रहा है या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार के कार्यकाल के विस्तार के लिए ईजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।


संक्षिप्त परिचय:

श्री सुब्रत कुमार को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने 21.11.2022 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री कुमार बीएससी, एमबीए (वित्त) और सीएआईआईबी योग्यता प्राप्त बैंकर हैं। उन्हें वाणिज्यिक बैंकों/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कोषागार, जोखिम प्रबंधन, ऋण निगरानी और कॉर्पोरेट ऋण में विशेषज्ञता के साथ परिचालन और कार्यनीतिक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने क्षेत्रीय प्रमुख, पटना, कोषागार, निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा, ऋण निगरानी और कॉर्पोरेट ऋण के प्रमुख जैसे दायित्वों को सफलतापूर्वक संभाला। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य जोखिम अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का पद भी संभाला। वह एफआईएमएमडीए और बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के बोर्ड में भी थे।

श्री सुब्रत कुमार या उनके सगे-संबंधियों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके सगे-संबंधियों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि रखने वाला या संबंधित नहीं माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

कते बैंक ऑफ इंडिया



(रजनीश कर्नाटक)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 अक्टूबर, 2025

निदेशकों का चुनाव – प्रासंगिक अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि का उद्धरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) की अनुसरण में अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी के अनुरूप शेयरधारक निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970 की प्रासंगिक धाराओं तथा बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रासंगिक विनियमों को शेयरधारकों की सूचना के लिए नीचे दर्शाया गया है।

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

“पर्याप्त हित” – धारा 5 (एनई)

- (i) कंपनी के संबंध में इसका अर्थ है कंपनी के शेयरों में किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग बच्चे, या तो अकेले या साथ मिलकर, लाभार्थी के रूप में अपना हित धारण करना। इस संबंध में भुगतान राशि दो करोड़ रुपए या कंपनी प्रदत्त पूंजी का दस प्रतिशत, इन दोनों में जो भी कम हो, होनी चाहिए;
- (ii) फर्म के संबंध में इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग बच्चों के द्वारा फर्म में लाभार्थी के रूप में अपना हित रखना जो संबंधित फर्म के सभी भागीदारों द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक होना चाहिए;]

ए) सामान्य निदेशकों की निषेधाज्ञा – धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसे निदेशक नहीं रहेंगे जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक हैं।

बी) ऋण तथा अग्रिम पर प्रतिबंध – धारा 20

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में विहित कुछ भी होने के बावजूद, कोई बैंककारी कंपनी –

ए) अपने शेयर की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी, अथवा

बी) निम्नलिखित की ओर से कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं करेगी–

(i) कंपनी के किसी निदेशक

(ii) कोई ऐसा फर्म जिसमें इसके निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित रखते हों, अथवा

(iii) कोई कंपनी (जो बैंकिंग कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी न हो) या कोई सरकारी कंपनी, जिनका (या जिसकी किसी अनुषंगी या होलिंग कंपनी का) कोई निदेशक बैंकिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता हो, या

(iv) कोई व्यक्ति जिससे इसके निदेशक एक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।

2) अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उप धारा (1) के खण्ड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ

के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय व्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाएंगे।

बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यह उप धारा संबंधित निदेशक के दिवंगत, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद के रिक्त होने पर लागू नहीं होगी।

- 3) उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना दी गई कोई भी छूट/माफी अमान्य एवं अप्रभावी होगी।
- 4) जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा में व्याख्या :

- ए) "ऋण या अग्रिम" में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख करे।
- बी) "निदेशक" में भारत में किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल है, जो किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके सभी या किसी भी मामले के प्रबंधन के संबंध में प्रबंधन या सलाह देने के उद्देश्य से गठित किया गया हो।
- 5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन ऋण या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन हेतु मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

2. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

ए) मताधिकार को सीमित करना

धारा 3(2ई) केन्द्रीय सरकार को छोड़कर संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, संबंधित नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक, उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

बी) निदेशक मंडल का संगठन

धारा 9(3)(i)जहाँ पूंजी को धारा 3 की उप धारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत निर्गमित किया गया है:

- (I) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तो एक निदेशक:
- (II) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से कम हो, तो दो निदेशक।
- (III) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो, तो केन्द्रीय सरकार को छोड़कर, तीन निदेशक अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खंड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक इस योजना में यथा निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

आगे बशर्ते कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थाएं विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ होने पर अथवा उससे पहले, नए संबंधित बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III), जैसा भी मामला हो, में निर्वाचित निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे अधिक संख्यक निदेशक जो यह विधि आरंभ होने के पूर्व निर्वाचित हुए हैं इस तरह से सेवानिवृत्त होंगे जैसा इस योजना में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसे निदेशक उनके कार्यकाल के समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं होंगे।

9(3ए) उक्त खंड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक -

(ए) निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होंगे :-

- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
 - ii) बैंकिंग
 - iii) सहकारिता
 - iv) अर्थशास्त्र
 - v) वित्त
 - vi) विधि
 - vii) लघु उद्योग
 - viii) * अन्य कोई विषय जिसमें विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में संबंधित नए बैंक के लिए उपयोगी हो।
- * (आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.एनओ.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के माध्यम से (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विस्तार किया है जिससे बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्तियों पर भी विचार किया जा सके।)

(बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

9 (3एए): उप धारा 3(ए) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा प्रचलित विधि में अन्य बातों के होते हुए भी निदेशक बनने के इच्छुक किसी उम्मीदवार को उप धारा 3 के खण्ड (आई) के अधीन इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ट्रेक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य मानदंडों के अनुसार “उपयुक्त एवं उचित स्थिति” में होना चाहिए।

9 (3एबी) : भारतीय रिज़र्व बैंक की उप धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में “उपयुक्त एवं उचित स्थिति” का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषय जो इस संबंध में आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकते हैं, को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

9 (3बी) : जहां भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक की उप धारा (3) के खण्ड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल उप धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, संबंधित नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक आम बैठक में किसी निदेशक के निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित हैं।

सी) निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या लेखापरीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या संबंधित नए बैंक का अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

ए) निर्वाचित निदेशक का सेवाकाल

खण्ड 9(4) :

निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारिता नहीं करेगा।

बी) निदेशकों की अयोग्यता

खण्ड 10

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा : -

- ए) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा या कंपाउंड किया हो, या
- बी) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो; या
- सी) यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में दोषी ठहराया गया हो; या
- डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किन्तु अपवादस्वरूप, वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (ई) एवं (एफ़) के अन्तर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

सी) निदेशक के पद का रिक्त होना

खण्ड 11

1. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (बी) या खण्ड (सी) या खण्ड (डी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
3. उपर्युक्त उप-धारा के किसी भी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ई) अथवा खण्ड (एफ) में उल्लेखित निदेशक का पद तभी रिक्त हो जाएगा जब उस निदेशक का कामगार अथवा कोई कर्मचारी रहना समाप्त हो जाता है, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक जिसका वह निदेशक है, का कामगार रहना शामिल नहीं है।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक के पद की कोई रिक्ति होती है, तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

डी) निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खण्ड 11क :

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित वाले शेयरधारकों के बहुमत से प्रेरित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (आई) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

ई) निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति का भरा जाना

खण्ड 11ख

- 1) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।
बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीने से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जाए।
- 2) उप खण्ड (1) के अंतर्गत निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

एफ) निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन

खंड 12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र वह बोर्ड को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उप खण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में, जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो

प्रतिशत से कम धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या

- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के अधीन निदेशक है।

4. बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बँडकें) विनियमन, 2007

ए) संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियम 10:

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में, शेयर के अंतरण के मामले को छोड़कर, मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस का निष्पादन करने और बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित अन्य सभी या किन्हीं मामलों में प्रथम नामधारक को उसका एकल धारक समझा जाएगा।

बी) निदेशकों का चयन आम सभा में होगा

विनियम 63

- (i) अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खण्ड (i) के अनुसार निदेशक का चयन केन्द्र सरकार के अलावा पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की आम सभा में उनके बीच में से ही किया जाएगा।
- (ii) जहाँ किसी निदेशक का चयन आम सभा में किया जाना है, इस आशय की सूचना आम सभा बुलाने की सूचना में दी जाएगी। इस प्रकार के प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियाँ जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

सी) शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

- (i) इन विनियमों के विनियम 55 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के लिए रजिस्टर में उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- (ii) इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उनके शेयरों के पंजीकृत किए जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसको बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और आवेदन पर इस सूची की प्रतियाँ निदेशक बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए जाने वाले मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

डी) चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन:

विनियम 65

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि
- (ए) वह बैंक ऑफ इंडिया के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक न हो।
- (बी) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
- (सी) उसने अपने नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेयरों की मांग

राशियों का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान न कर दिया हो।

- (डी) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत नियत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए बशर्ते कि कोई शेयरधारक जो एक कंपनी है, के द्वारा किया गया नामांकन उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाए और जहां ऐसा किया गया हो वहाँ पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प प्रमाणपत्र की प्रति को सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- (ई) नामांकन के साथ न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेसेज़ के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की गई यह घोषणा संलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (ii) कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम 14 दिन के पहले प्राप्त न हो जाए।

ई) नामांकनों की संवीक्षा (जांच) :

विनियम 66:

- (i) नामांकनों की संवीक्षा नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त करने का कारण दर्ज किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार से चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से उपर्युक्त चुनाव के लिए ही बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- (ii) ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।
- (iii) वह निदेशक जिसका चयन किसी मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को उसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

एफ) चुनाव-विवाद

विनियम 67 :

- (i) यदि किसी ऐसे व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चुना हुआ घोषित किया गया है अथवा किसी निदेशक के चुने जाने की वैधता के बारे में कोई संदेह अथवा विवाद उठता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्रत्याशी या शेयर-धारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, उसे इस प्रकार के चुनाव के परिणाम की घोषणा के 7 दिन के भीतर बैंक ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उसे उन आधारों का पूर्ण विवरण देना होगा जिन पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद करता है।

- (ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक हों जिन्हें अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के अन्तर्गत नामित किया गया है।
- (iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव था तब वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधिमान्य नहीं था, तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश देंगे और नया चुनाव कराने सहित, जैसा कि समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे, निर्देश जारी करेगी।
- (iv) इस विनियम के अनुरूप ऐसी समिति द्वारा दिया गया आदेश एवं निर्देश निर्णायक होगा।

जी) शेयरधारकों का मताधिकार : मताधिकार का निर्धारण :

विनियम 68:

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों के अध्यक्षीन, आम बैठक की तारीख के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख पर जिसे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार है और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गये प्रावधानों के अध्यक्षीन, उपर्युक्त के अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो एक कंपनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी है वह उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो, उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उप विनियम (i) में यहां उपर्युक्त के अनुरूप उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए "कंपनी" से है तात्पर्य कोई भी कॉरपोरेट निकाय से है।

- (iii) बैंक के शेयरधारक सामान्य सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति को (शेयरधारक हो अथवा नहीं) उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त करेंगे, परंतु ऐसे किसी परोक्षी को इस प्रकार की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

एच) विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान:

विनियम 69 :

- (i) कोई शेयरधारक, वह केन्द्र सरकार हो अथवा कम्पनी, एक संकल्प के द्वारा, जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी आम सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति" के रूप में संदर्भित किया जाए), केन्द्र सरकार की ओर से अथवा जिस कम्पनी का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसकी ओर से इस प्रकार से उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयरधारक हो, इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नाम पर हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- (ii) बैठक के लिए निर्धारित की गई तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जमा न कराने की दशा में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में न तो भाग

ले सकेगा और और न ही मतदान कर सकेगा।

आई) भारतीय रिज़र्व बैंक के " उपयुक्त एवं उचित " मानदंड दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निदेश डीबीआर एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत "उपयुक्त और उचित" मानदंड निर्धारित किए गये हैं, जिन्हें पीएसबी के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जा रहे व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

"उपयुक्त एवं उचित" स्तर आदि का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी, पद्धति/क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

1. प्राधिकारी:

उम्मीदवारों के 'उपयुक्त एवं उचित' स्टेटस को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया की अंडरटेकिंग के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एक, "नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति" (समिति) का गठन करें, जिसमें निदेशक बोर्ड में से कम-से-कम तीन गैर-कार्यपालक निदेशक रखे जाएं। निदेशक बोर्ड अपने में से किसी एक निदेशक का नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नामित करें। कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का होगा। पहले से नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति में आगामी बैठक के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य गैर कार्यपालक निदेशक को निदेशक बोर्ड द्वारा नामित किया जाए। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड उसके कार्यकाल का निर्णय कर सकता है।

2. पद्धति और क्रियाविधि:

बैंक चुनाव हेतु अपना नामांकन दर्ज करने वाले व्यक्तियों से अनुलग्नक-ए में दिए गए प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और अंडरटेकिंग प्राप्त करेगा। समिति नामांकन की मंजूरी हेतु निर्धारित अंतिम तारीख के बाद बैठक करेगी तथा आरबीआई परिपत्र में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर तय करेगी कि उक्त व्यक्ति की उम्मीदवारी मंजूर की जानी चाहिए या नहीं।

समिति की बैठक में हुई चर्चा को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित प्रकार से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा यदि मतदान हुआ है तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवार की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट अनिवार्यताओं को पूरा करता है या नहीं यह निर्णय करने के लिए यदि आवश्यक समझे उचित प्राधिकारी/व्यक्ति से सम्पर्क कर सकती है।

3. मानदंड:

नामांकन समिति को नीचे दिये गये बोर्ड मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों के "उपयुक्त एवं उचित" स्तर का निर्धारण करना चाहिए:

- आयु – चुनाव हेतु नामांकन दर्ज करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख को उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक अर्हता - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए।
- अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र – उम्मीदवार को आरबीआई परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी..वीसी सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए)/एसबीआई अधिनियम की धारा 19 ए(ए) में वर्णित एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष जानकारी या प्रायोगिक अनुभव होना आवश्यक है।

iv. **अयोग्यता:** एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22/राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/80: के खंड 10 में निर्धारित 'निदेशक की अयोग्यता' के अतिरिक्त:

(ए) उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कम्पनी में बोर्ड का सदस्य या किसी अन्य बैंक एनओएफएचसी धारक नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा एवं उप पैरा (सी) के उद्देश्य हेतु, "बैंक" शब्द किसी बैंकिंग कम्पनी, तदनुसूची नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शामिल होगा।

(बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, ऋण देना, निवेश, पट्टेदारी तथा अन्य पराबैंकिंग गतिविधियों से संबंधित व्यक्ति पीएसबी के बोर्ड पर चयनित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचारित नहीं किए जाएंगे। परन्तु ऐसी संस्थाओं के निवेशक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अयोग्य नहीं होंगे यदि उनका उस पर प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।

(सी) कोई भी व्यक्ति जिसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में चाहे निरंतर या अंतराल पर छः वर्ष तक किसी बैंक (जिसमें वह बैंक शामिल है जिसमें उसने अतीत में निदेशक के रूप में कार्य किया है)/एफआई /आरबीआई/ बीमा कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।

(डी) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।

(ई) उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अर्थात् क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद इत्यादि के रूप में अधिसूचित) का सदस्य नहीं होना चाहिए।

(एफ) उम्मीदवार को किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो।

(जी) उम्मीदवार को किसी सनदी लेखाकार फर्म के साझीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन भरा गया है।

4. **कार्यकाल** – चुने गए निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और वह पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह वर्ष की अवधि से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकेगा, (राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/80 का खंड 9 (4) चाहे उसने निरंतर या अंतराल पर कार्य किया हो।

5. **व्यावसायिक प्रतिबंध –**

क. उम्मीदवार का न तो संबंधित बैंक के साथ कोई कारोबारी संबंध (विधिक सेवाएं, परामर्श सेवाएं इत्यादि सहित) होना चाहिए न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संबद्ध होना चाहिए जो कि उस बैंक के साथ कारोबारी हितों में टकराव उत्पन्न करे।

ख. उम्मीदवार के किसी बैंक के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंध या अन्य किसी बैंक वाली किसी एनओएफएचसी में धारिता नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि चुनाव हेतु नामांकन भरते समय बैंक के साथ ऐसा संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को मद (बी) के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा करने वाला मान लिया जाएगा, उम्मीदवार समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में चुना जाता है और निर्वाचित होता है, तो बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व उसका ऐसा संबंध समाप्त हो जाएगा।

6. पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड एवं निष्ठा – उम्मीदवार को किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या विधि प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस नहीं मिला हो तथा वह व्यक्ति किसी भी ऋण संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए :

- (क) निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले उम्मीदवार को आरबीआई के परिपत्र के अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रारूप में निष्पादित अनुबंध (कवनेंट) विलेख।
- (ख) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस संबंध में एक साधारण घोषणा कि उम्मीदवार द्वारा पहले उपलब्ध कराई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ग) जहां निर्वाचित निदेशक यह सूचित करते हैं कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नए अनुलग्नक-1 को प्राप्त करेगा जिसमें परिवर्तन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त परिपत्र यह भी व्यवस्था करता है कि बैंक

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

इसके अतिरिक्त,

- (घ) चयनित सी.ए. निदेशकों/उनके फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटन सहित, सुरक्षा की उचित व्यवस्था स्थापित करना। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि वे उनके/फर्म के ग्राहकों के, बैंक ऋण/निवेश के निर्णय में शामिल न हों। चयनित सी.ए. निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वे अनिवार्यतः इस पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग करें तथा इस संबंध में शर्तों पर हस्ताक्षर करें।
- (ङ) यह व्यवस्था करना कि चयनित निदेशक, अपने हितों के कारोबारी इकाइयों में निदेशक होने का पूर्ण तथा उचित प्रकटन करें। इसके अतिरिक्त संबंधित निदेशक, उनसे संबंधित संस्थाओं से संबद्ध बैंक के ऋण/निवेश के निर्णयों से व्यक्तिगत रूप से स्वयं को दूर करें।
- (च) निदेशक के रूप में चयनित किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में पद छोड़ने के दो वर्ष के बाद की अवधि तक संबंधित बैंक में कोई पेशेवर काम आबंटित न करना।

इसके अतिरिक्त परिपत्र व्यवस्था करता है कि

जहाँ चयनित निदेशक :

(क) निम्नलिखित के संबंध में विफल होता है:

(i) शर्तों का विलेख या उद्घोषणा प्रस्तुत करना; या

(ii) उचित प्रकटन करना; या

(iii) ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता करने से बचना, जहाँ उसका हित है; या

(ख) अधूरा या गलत प्रकटन करना, या

(ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार उन्हें 'अयोग्य तथा अनुचित' प्रतिपादित करते हैं।

ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि वे एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए की उप-धारा(2)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं

करते हैं तथा वे इसके परिणाम के लिए जिम्मेदार होंगे।

संबंधित समिति यह देखेगी कि क्या किसी उपर्युक्त मानदंड का अनुपालन न होना, मौजूदा चयनित निदेशक/प्रस्तावित आवेदक को बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में दायित्वों के निर्वहण को बाधित करेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे आवेदक जो किसी प्राधिकरण/विनियामक एजेंसी के प्रतिकूल रूप से ध्यान (नोटिस) में आए हैं या यदि वे किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं से किसी ऋण की चूक या दिवालिया कार्रवाई से संबंधित हैं तो ऐसे आवेदक को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य तथा अनुचित माना जाएगा।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के चयन के लिए दिशा-निर्देश - भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 01 जून, 2011, भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के माध्यम से यथा लागू तथा एमओएफ पत्र संख्या फ.सं. 16/05/2012 –बीओ.आई दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई 2016 के माध्यम से संशोधित (भारत सरकार के नवीनतम दिशानिर्देश)

निम्नलिखित मानदंडों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के नामांकन के लिए अपनाया जा सकता है।

सामान्य

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉरपोरेट लॉ, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी क्षेत्र में विशेष अकादमिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभवधारक महत्वपूर्ण व्यक्ति पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। किसी वरिष्ठ पद पर 20 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव, संबंधित क्षेत्र में स्थापित कुशलता (किसी प्रतिष्ठित संस्थान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया किसी असफल होते हुए संगठन में आमूलभूत परिवर्तन किया हो) को वरीयता दी जाएगी।
2. कुल 20 वर्षों के अनुभव धारक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव। सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी की उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हो। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सेवारत एमडी/ईडी का किसी भी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्राध्यापक (प्रोफेसर) जिन्हें 20 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।
4. ऐसे सनदी लेखाकार जिन्हें 20 वर्षों का अनुभव हो (लेखापरीक्षा के अनुभव को हटाकर) को भी वरीयता दी जाएगी।

शिक्षा

5. एनओडी किसी भी वर्ग में कम से कम स्नातक होना चाहिए, अधिमान्यतः कारोबार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता।

आयु

6. समिति द्वारा सिफारिश की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्य अनुभव :

7. आमतौर पर पेशेवरों/शिक्षाविदों को उनके क्षेत्र विशेष में काम करने का 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता :

8. बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई)/आरबीआई/इंश्योरेंस कंपनी में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पहले से ही निदेशक के रूप में होने पर किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

9. किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पराबैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यदि किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देना और अन्य पराबैंकिंग गतिविधियों में संलग्न निवेशकों का किसी कंपनी पर प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो, एनओडी के रूप में नियुक्त होने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी व्यक्ति, जिसने पहले किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में दो कार्यकालों या छः वर्ष जो भी अधिक हो, बैंक/वित्तीय संस्था आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में सेवाएं दी हों, को एनओडी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।

कार्यकाल

11. किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में 6 वर्षों के लिए, लगातार या अंतराल पर।

व्यावसायिक प्रतिबंध

12. यदि कोई सनदी लेखाकार फ़र्म किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है तो उस सनदी लेखाकार फ़र्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।
13. यदि कोई सनदी लेखाकार फ़र्म किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है तो उस सनदी लेखाकार फ़र्म का कोई भी भागीदार उसी बैंक में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

चूंकि आरबीआई की अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और भारत सरकार के दिशानिर्देश समान स्वरूप के हैं, उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्धारण करते समय, बैंक इन दोनों प्रतिबंधों में से अधिक सख्त पर विचार करेगा।

नामांकन प्रारूप

प्रति

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ,
बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय,
स्टार हाऊस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051

महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपकी सूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के संदर्भ में मैं,..... बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयरधारक हूँ और मेरे पास चुनाव में सहभागिता हेतु निर्धारित तारीख अर्थात सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 को रु.10/- प्रति इक्विटी शेयर हैं और मैं एतद्वारा श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी को, जो कि का/की निवासी हैं, 7 नवंबर, 2025 को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में किए गए उपबंध के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
रजिस्टर फोलियो संख्या (यदि डीमैट नहीं किया गया हो)	
डीपीआईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमैट किया गया हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां:

- यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ संबंधित निदेशक बोर्ड की बैठक के पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति जिस पर संबंधित बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर का बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षरों के साथ मिलान होना जरूरी है।
- उपर्युक्त में से यदि कोई भी कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा।

उदघोषणा पत्र

मैं, ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी, -----
-----श्री/श्रीमती -----
निवासी

----- एतद्वारा, पुष्टि करता/करती हूँ कि :

- ए. मैं चुनाव में सहभागिता हेतु निर्धारित तारीख अर्थात **सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025** को बैंक के _____ इक्विटी शेयरों का/की धारक हूँ एवं
- बी. *i) मुझे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (x) मानव संसाधन (xi) जोखिम प्रबंधन और (xii) कारोबार प्रबंधन अथवा _____ (जिसकी विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है तथा अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में संबंधित प्रमाणपत्रों को इसके साथ प्रस्तुत करता हूँ, एवं
- सी. मैं _____ नंबरों वाले नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ, एवं
- डी. मैं बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ एवं
- ई. मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक पद के लिए अयोग्य नहीं हूँ।
- एफ़. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूँ; और
- जी. मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ और न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित है, अथवा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ, एवं
- मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि :
- एच. मैं किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी नहीं हूँ, और
- आई. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या भुगतान निलंबित या लेनदारों के साथ जोड़ा नहीं गया है, और
- जे. मुझे कभी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और न ही किसी सक्षम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है और न ही किसी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा नैतिक अधमता जैसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, और
- के. मैं किसी भी खरीद व बेचने, वित्तपोषण, धन उधार देने निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पराबैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूँ;

- एल. मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या आरबीआई या वित्तीय संस्थान या बीमा कंपनी या एनओएफएचसी धारण करने वाले किसी अन्य बैंक में निदेशक नहीं हूँ, और
- एम. मैं किसी श्रेणी के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान या आरबीआई या बीमा कम्पनी में चाहे लगातार या रुक-रुक कर दो टर्म या छह वर्ष की अवधि, जो भी दीर्घ कार्यकाल हो, के लिए निदेशक नहीं रहा हूँ, और
- एन. मैं स्टॉक ब्रॉकिंग के कारोबार से संबद्ध नहीं हूँ।
- ओ. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकाय अर्थात् अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्रामसभा, जिला परिषद आदि जैसे निकाय) के सदस्य के पद पर नहीं हूँ।
- पी. मैं ऐसी किसी भी सनदी लेखाकार फर्म का भागीदार नहीं हूँ, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो; और
- क्यू. मैं ऐसी किसी भी सनदी लेखाकार फर्म का भागीदार नहीं हूँ जो वर्तमान में बैंक ऑफ़ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें निर्वाचन के लिए नामांकन किया गया है।
- आर. मैं बैंक के साथ किसी भी कारोबार (कानूनी सेवा, परामर्श संबंधी सेवाओं सहित) में संबद्ध नहीं हूँ और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल हूँ, जिनका परिणाम बैंक के कारोबारी हितों के विरुद्ध हो; और
- एस. मैं यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो बैंक के साथ यदि कोई पेशेवर रिश्ता हो, तो उसे तोड़ दूंगा और उस दौरान बैंक के साथ किसी भी व्यावसायिक रिश्ते का निर्वाह उसके बाद दो-वर्ष की अवधि के लिए नहीं रखूंगा; और
- टी. मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक में स्वामित्व रखने वाले किसी एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और यदि मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले निर्वाचित होता हूँ तो बैंक के साथ संबंध समाप्त करने का वचन देता हूँ।
- यू. मुझे किसी विनियामकीय या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रतिकूल नोटिस नहीं दिया गया है और मैं किसी ऋणदाता संस्था का दोषी नहीं हूँ।
- वी. मैं वचन देता हूँ कि निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने से पहले प्रसंविदा विलेख (आरबीआई के परिपत्र दिनांक 02.08.2019 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में) निष्पादित करूंगा।
- डबल्यू. जब तक मैं बैंक के निदेशक के पद पर रहूंगा, तब तक सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ।
- एक्स. मैं यह वचन देता हूँ कि इसमें मुहैया कराई गई सूचनाओं के संबंध में इस घोषणा के बाद यदि और घटनाएं, यदि कोई हो, घटित हो तो जहां तक संभव होगा मैं उनके बारे में बैंक को पूरी जानकारी दूंगा और बैंक के निदेशक के रूप में मेरा चुनाव होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करूंगा।
- वाई. मैं नीचे अपने अन्य कंपनियों/बैंकों में वर्तमान तथा पिछले निदेशक पद के विवरण दे रहा/रही हूँ :

कंपनी, बैंक आदि का नाम	निदेशक पद के विवरण अर्थात् कालावधि, समयावधि आदि

यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त शीट जोड़ें।

ज़ेड. मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में सही और पूर्ण हैं।


नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डीमैट नहीं हो)	
डीपीआईडी संख्या एवं ग्राहक आईडी संख्या (यदि डीमैट हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गयी है।

 मुहर के साथ हस्ताक्षर जज, मजिस्ट्रेट, एश्वर्योरेंस रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

* जो लागू न हो उसे हटा दें।

बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ इंडिया
किसी प्रस्तावित निदेशक द्वारा दी गई 'घोषणा एवं वचन'
(यथोचित संलग्नकों सहित)



क्र.सं	विवरण	प्रकट जानकारी		
I.	व्यक्तिगत जानकारी			
ए.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम
	पिता का नाम			
	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)			
बी.	वर्तमान पता			
सी.	राष्ट्रीयता			
डी.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) और आयु	___/___/___ आयु: ___ वर्ष ___ माह ___ दिन		
डी.	शैक्षणिक अर्हता			
एफ़.	निदेशक पहचान संख्या(डीआईएन)			
जी.	आधार संख्या			
एच.	(क) स्थायी खाता संख्या (पैन) (ख) आयकर सर्किल/वॉर्ड का नाम/पता जहां प्रस्तावित निदेशक के कर (आयकर क्षेत्राधिकार) का निर्धारण किया जाता है। (ग) गत तीन वर्षों के रिटर्न फाइल व करों के भुगतान का विवरण	फाइल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (रु. में)	
आई	स्थायी पता			
जे.	ई-मेल पता एवं वैकल्पिक ई-मेल पता: टेलिफोन नंबर, एसटीडी कोड सहित: मोबाइल नंबर			
के.	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव [देखें] ➤ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2), ➤ बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3ए), ➤ एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(ए), जैसा भी मामला हो, बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर. अपार्टमेन्ट. बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पढ़ें]			

क्र.सं	विवरण	प्रकट जानकारी																
एल.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त लेख)																	
एम.	पिछले न्यूनतम 10 वर्षों का पेशा, जिन संगठनों में कार्य किया है, उनके पूर्ण पते, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, कार्यभार मुक्त करने की तिथि (कारण सहित) पदनाम आदि।																	
एन.	सनदी लेखाकार के संबंध में, निम्नलिखित की सूचना दें: (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या: (ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि: (ग) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम व पता: (घ) फर्म/फर्मों या आपके द्वारा वर्तमान में की गई लेखा परीक्षा(ओं) का विवरण:																	
ओ.	शाखा के नाम तथा खाता संख्या (वचत/चालू/ऋण खाते) सहित बैंक/कों का नाम, जहां आप एक मूल खाता धारक हैं :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>शाखा</th> <th>खाते का प्रकार</th> <th>खाता संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या												
बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या															
पी.	यदि कोई डीमैट खाता (खाते) रखे गए हैं तो उसका विवरण (प्रतिलिपि संलग्न करें)																	
क्यू.	सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)																	
आर.	बैंक की निदेशकता से संबंधित जानकारी																	
II. प्रस्तावित निदेशक से संबंधित रिश्ता																		
ए.	रिश्तेदारों की सूची, जो किसी भी बैंक से किसी प्रकार से जुड़े हैं, (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और कंपनी (परिभाषा का विशेषीकरण) नियम, 2014 का नियम, 4) का संदर्भ लें :																	
बी.	i. संस्थाओं की सूची, जिनमें हित हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें) ii. हिताधिकारी स्वामित्व हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 का संदर्भ लें, जो एमसीए के प्रमुख हिताधिकारी स्वामित्व नियम): iii. ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट के संदर्भ में अन्य संबंध का भी उल्लेख करें)																	
सी	वर्तमान और प्रस्तावित, संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)# के अनुसार, महत्वपूर्ण हित है: "पर्याप्त हित" (i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या साथ में, उसके शेयरों में लाभकारी हित धारण करना, जिस पर भुगतान की गई राशि 2 करोड़ रुपये या कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, जो भी कम हो; (ii) किसी फर्म के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या साथ में, उसमें धारित लाभकारी हित, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा सब्सक्राइब की गई कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>कंपनी/फर्म का नाम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>निगमीकरण देश</td> <td></td> </tr> <tr> <td>शेयरों की संख्या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कुल चुकता पूंजी की % के रूप में शेयरधारिता</td> <td></td> </tr> <tr> <td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	कंपनी/फर्म का नाम		निगमीकरण देश		शेयरों की संख्या		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य		शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य		कुल चुकता पूंजी की % के रूप में शेयरधारिता		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में)		क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।	
कंपनी/फर्म का नाम																		
निगमीकरण देश																		
शेयरों की संख्या																		
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य																		
शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य																		
कुल चुकता पूंजी की % के रूप में शेयरधारिता																		
लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में)																		
क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।																		
डी.	विदेश में निगमित और भारत में व्यवसाय के स्थान वाली संस्थाओं में शेयरपूंजी का विवरण																	

क्र.सं.	विवरण	प्रकट जानकारी
ई.	बैंक/एनबीएफसी/अन्य किसी कंपनी का नाम, जिसमें वर्तमान/पूर्व में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि हैं/थे (ऐसे कार्यालय में पदधारिता की अवधि के विवरण सहित)	
एफ.	उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध व्यक्तियों और/या संस्थाओं द्वारा वर्तमान में लाभ ली गई निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं, यदि कोई हो, का विवरण	
जी.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह या ऊपर II(बी) से (डी) में सूचीबद्ध संस्थाएं बैंक / किसी अन्य बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हैं या पिछले 10 वर्षों में चूककर्ता रही हैं।	
एच.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह चूककर्ता है या किसी बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋणदाता संस्थान द्वारा उसे इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।	
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड	
एच.	निदेशक-पद के संबंध में व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV.	प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाइयाँ, यदि कोई	
ए.	किसी व्यावसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, जो लंबित या आरंभ की गई हो या गत समय में उनके विरुद्ध दोषसिद्धि हुई हो या क्या उन्हें कभी भी किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है, का विवरण	
बी.	किसी लंबित या आरंभ किए गए अभियोग, यदि कोई हो, या आर्थिक कानूनों या विनियमों के उल्लंघन के लिए स्वयं की या उपर्युक्त II(b) से (e) में सूचीबद्ध संस्थाओं की दोषसिद्धि होने का विवरण	
सी.	पूर्व में लंबित या आरंभ किए गए आपराधिक अभियोग या दोषसिद्धि पाए जाने, यदि कोई हो, का विवरण	
डी.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निर्धारित की गई कोई अपात्रता है, तो उसका विवरण	
ई.	यदि वह व्यक्ति या उपर्युक्त II(b) से (e) में सूचीबद्ध किसी संस्था की किसी पूर्व नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से कोई अन्वेषण जांच के मामले में है, तो उसका विवरण	
एफ.	यदि उन्हें सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी-विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधि संबंधी अपेक्षाओं के उल्लंघन के संबंध में दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण।	
जी.	यदि उसे कभी भी विनियामकीय संस्था जैसे कि सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि के अनुसार प्रतिकूल दायरे में रखा गया हो, (यद्यपि उम्मीदवार के लिए दिए गए आदेशों और निष्कर्ष के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जो बाद में पूर्णतः रिवर्स/अपास्त (सेटिंग असाइड) किया गया हो, यदि रिवर्सल/अपास्त किया जाना गुणावगुणों के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों जैसे कि अधिकारिता संबंधी परिसीमा या अभाव, के आधार पर हो तो उक्त का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यदि उक्त आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाए)	
V.	I से IV मदों के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा 'उपयुक्त और उचित' का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक अन्य जानकारी	

क्र.सं	विवरण	प्रकट जानकारी
	वचन	
	मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता/देती हूँ कि, मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होने वाली सभी घटनाओं की पूर्ण जानकारी मैं यथा संभव शीघ्रता से बैंक को दूंगा/दूंगी जो कि उपर्युक्त उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित है। मैं वचन देता हूँ कि मैं बैंक की लेखापरीक्षा कार्य से स्वयं को अलग रहूँगा तथा बैंक के ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में शामिल नहीं रहूँगा जिसमें मेरा हित शामिल है।	
	मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं बैंक के साथ यथा आवश्यक 'प्रसंविदा विलेख' निष्पादित करूँगा।	
	स्थान :	प्रस्तावित निदेशक के हस्ताक्षर
	दिनांक :	
VI.	बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/ नामांकन समिति की टिप्पणी	
	स्थान :	हस्ताक्षर
	दिनांक :	

अनुलग्नक 2

निदेशक के साथ प्रसंविदा विलेख का प्रारूप

यह प्रसंविदा विलेख इसदो हजार चौबीस के.....दिन को एक पक्ष के तौर पर **बैंक ऑफ़ इंडिया**, जिसका पंजीकृत कार्यालय स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा पूर्व मुंबई-400051 में है, (जिन्हें इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा), दूसरे पक्ष के तौर पर के श्री/श्रीमती..... (जिन्हें इसके बाद निदेशक कहा जाएगा) के बीच बनाया गया है।

जबकि

- ए. निदेशक को बैंक के निदेशक मंडल (जिसे आगे 'बोर्ड' कहा जाएगा) में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा नियुक्ति के समय बैंक के साथ प्रसंविदा विलेख पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।
- बी. निदेशक ने इस प्रसंविदा विलेख पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अब इस बात पर सहमति हुई है और यह प्रसंविदा विलेख निम्नानुसार प्रमाणित करता है:

1. निदेशक स्वीकार करता है कि बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में उसकी नियुक्ति बैंक के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों और इस प्रसंविदा विलेख के प्रावधानों सहित लागू कानूनों और विनियमों के अधीन है।
2. निदेशक बैंक के साथ वचनबद्धता करता है कि:
 - (i) निदेशक को अपने हित की प्रकृति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, बोर्ड के समक्ष प्रकट करनी होगी, यदि उसका किसी प्रसंविदा या व्यवस्था या बैंक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए गए या किए जाने वाले किसी प्रस्तावित प्रसंविदा या व्यवस्था में कोई हित है या वह उससे संबंधित है, तो उसे इसकी जानकारी होने पर तुरंत या बोर्ड की उस बैठक में, जिसमें ऐसे प्रसंविदा या व्यवस्था में प्रवेश करने के पश्च पर विचार किया जाता है या यदि निदेशक उस बैठक की तिथि को ऐसे प्रस्तावित प्रसंविदा या व्यवस्था से संबंधित या हित नहीं था, तो उसके संबंधित या हित होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में और किसी अन्य प्रसंविदा या व्यवस्था के मामले में, अपेक्षित प्रकटीकरण निदेशक के प्रसंविदा व्यवस्था से संबंधित या इच्छुक होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में किया जाएगा।
 - (ii) निदेशक बोर्ड को सामान्य सूचना द्वारा अपने अन्य निदेशक पदों, निगमित निकायों की सदस्यता, अन्य संस्थाओं में अपने हित तथा फर्मों के भागीदार या स्वामी के रूप में अपने हित का प्रकटन करेगा तथा बोर्ड को उसमें होने वाले सभी परिवर्तनों से अवगत कराएगा।
 - (iii) निदेशक को बैंक को अपने रिश्तेदारों की सूची उपलब्ध करानी होगी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (परिभाषा विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 में परिभाषित है, तथा निदेशक को अन्य निगमित निकायों, फर्मों और अन्य संस्थाओं में ऐसे रिश्तेदारों के निदेशक पदों और हितों के बारे में जानकारी है।
 - (iv) निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
 - (ए) किसी व्यक्ति से उसके ज्ञान या अनुभव के आधार पर अपेक्षित कौशल की ऐसी मात्रा का उपयोग करना;
 - (बी) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वह अपनी ओर से ऐसी सावधानी बरतेगा जिसकी उससे उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है तथा उसमें निहित किसी भी शक्ति का सद्भावपूर्वक तथा बैंक के हित में प्रयोग करेगा;
 - (सी) बैंक के कारोबार, गतिविधियों और वित्तीय स्थिति के बारे में उसे बताई गई सीमा तक स्वयं को सूचित रखेगा;

- (डी) बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में (संक्षिप्तता के लिए सामूहिक रूप से 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) निष्पक्ष नियमितता के साथ भाग लेना और बैंक के निदेशक के रूप में अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करना;
- (ई) बैंक के हितों के अलावा किसी अन्य कारण से बोर्ड के किसी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा;
- (एफ) बोर्ड के समक्ष लाए गए बैंक को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लेगा, जिसमें सांविधिक अनुपालन, कार्यनिष्पादन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन, प्रमुख कार्यपालक नियुक्तियां और आचरण के मानक शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
- (जी) बोर्ड के समक्ष लाए गए या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अपने निर्णय का प्रयोग करते समय वह किसी ऐसे कारोबार या अन्य संबंध से मुक्त होगा जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग में भौतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता हो; तथा
- (एच) बोर्ड की बैठकों में बिना किसी भय या पक्षपात के तथा अपने स्वतंत्र निर्णय पर किसी प्रभाव के बिना अपने विचार और राय व्यक्त करेगा;

(v) निदेशक के पास निम्नलिखित होंगे:

- (ए) सद्भावनापूर्वक तथा बैंक के हित में कार्य करने का प्रत्ययी कर्तव्य, न कि किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए;
- (बी) बैंक के ज्ञापन और अंतर्नियमों तथा लागू कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के अंतर्गत ही कार्य करने का कर्तव्य; तथा
- (सी) बैंक के कारोबार की उचित समझ हासिल करने का कर्तव्य।

(vi) निदेशक को:

- (ए) बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से बचना नहीं है;
- (बी) बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करना और जहां कहीं निदेशक के पास अन्यथा विश्वास करने का कारण हो, तो वह बोर्ड के समक्ष अपनी चिंताओं का तुरंत प्रकटन करेगा; और
- (सी) बोर्ड के सदस्य के रूप में उसे या किसी अन्य के लाभ के लिए प्रकट की गई सूचना का अनुचित उपयोग नहीं करेगा तथा बैंक के निदेशक के रूप में बैंक द्वारा उसे प्रकट की गई सूचना का उपयोग केवल निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के लिए करेगा, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं।

3. बैंक निदेशक के साथ वचनबद्धता करता है कि:

(i) बैंक निदेशक को निम्नलिखित के बारे में अवगत कराएगा:

- (ए) निदेशक के कानूनी और अन्य कर्तव्यों की पहचान और वैधानिक दायित्वों के साथ आवश्यक अनुपालन सहित बोर्ड प्रक्रियाएं;
- (बी) नियंत्रण प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ;
- (सी) बोर्ड की बैठकों में मतदान का अधिकार, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें निदेशक को अपने हितों के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेना चाहिए;
- (डी) योग्यता संबंधी आवश्यकताएं और ज्ञापन तथा अंतर्नियमों की प्रतियां प्रदान करना;
- (ई) कॉर्पोरेट नीतियां और प्रक्रियाएं;

- (एफ) भेदिया सौदेबाज़ी प्रतिबंध;
- (जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, उन्हें प्राधिकार सौंपना तथा उनके कार्य की शर्तें;
- (एच) वरिष्ठ कार्यपालकों की नियुक्तियाँ और उनके अधिकार;
- (आई) पारिश्रमिक नीति,
- (जे) बोर्ड की समितियों के विचार-विमर्श, और
- (के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, बैंक के ज्ञापन और अंतर्नियमों सहित लागू विनियमों, प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ अधिकारियों आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना देना तथा अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना, जो सभी सांविधिक और कानूनी अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ii) बैंक निदेशक सहित बोर्ड को सभी सूचनाएं प्रकट करेगा और उपलब्ध कराएगा जो उन्हें बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने और बोर्ड के समक्ष उसके विचारार्थ लाए गए मामलों या बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा निदेशक को सौंपे गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं;
- (iii) बैंक द्वारा निदेशकों के समक्ष किए जाने वाले खुलासों में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:
- (ए) बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;
- (बी) बैंक की कार्यनीतिक और कारोबार योजनाएं और पूर्वानुमान;
- (सी) बैंक की संगठनात्मक संरचना और प्राधिकारों का प्रत्यायोजन,
- (डी) प्रक्रियाओं सहित कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और प्रणालियाँ;
- (ई) आर्थिक विशेषताएं और विपणन वातावरण,
- (एफ) बैंक के उत्पादों पर उपयुक्त जानकारी और अपडेट्स;
- (जी) प्रमुख व्यय पर जानकारी और अपडेट्स;
- (एच) बैंक के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा; तथा
- (आई) कार्यनीतिक पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट देना;
- (iv) बैंक निदेशकों और संबंधित कार्मिकों को बोर्ड की चर्चाओं के परिणामों से अवगत कराएगा तथा बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को समयबद्ध तरीके से तथा जहां तक संभव हो सके, बोर्ड की बैठक की समाप्ति की तिथि से दो कारोबारी दिनों के भीतर निदेशकों को प्रसारित करेगा; तथा
- (v) बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में सौंपे गए प्राधिकार के स्तर के बारे में निदेशक को सलाह देना।
4. बैंक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कार्यप्रणाली तथा उसकी प्रभावशीलता पर निदेशक को आवधिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।
5. निदेशक अपने कार्यालय तथा बैंक के निदेशक के रूप में अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपेगा, हस्तांतरित नहीं करेगा, उप-पट्टे पर नहीं देगा या भारग्रस्त नहीं करेगा, बशर्ते कि इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा किसी प्राधिकार, शक्ति, कार्य या प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करता है, जो बैंक के ज्ञापन और अंतर्नियमों के अनुच्छेदों सहित लागू कानूनों और विनियमों के अधीन है।

6. चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जिसमें निदेशक भागीदार है, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षा नहीं करेगा / बैंक के वर्तमान निदेशक पद के दौरान बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा या समवर्ती लेखापरीक्षा नहीं करेगा।
7. किसी भी पक्षकार द्वारा किसी दायित्व या कर्तव्य का पालन, निर्वहन, पालन या अनुपालन करने में विफलता को उसका परित्याग नहीं माना जाएगा और न ही यह उसके पश्चात किसी भी समय उसके निष्पादन, पालन, निर्वहन या अनुपालन पर रोक लगाएगा।
8. इस प्रसंविदा विलेख में कोई भी और सभी संशोधन और/या अनुपूरक और/या परिवर्तन केवल तभी वैध और प्रभावी होंगे जब वे लिखित रूप में हों और निदेशक तथा बैंक के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हों।
9. यह प्रसंविदा विलेख दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियां मूल मानी जाएंगी।
जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने उपर्युक्त दिन, माह और वर्ष को इस समझौते को विधिवत् निष्पादित किया है।

बैंक के लिए	निदेशक
द्वारा
नाम:	नाम:
शीर्षक:	
की उपस्थिति में :	
1.	2.

रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 3 नवंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर गुरुवार, 6 नवंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 13 अक्टूबर, 2025 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, यानी 13 अक्टूबर, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे कर सकता हूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के चलन में "दो चरण" विद्यमान हैं जो निम्नानुसार हैं:





चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर ऐक्सस

ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने के लिए लॉग-इन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई ई-वोटिंग सुविधा पर दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ

रखने वाले एकल शेयरधारकों को, निक्षेपागारो और निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास रखे अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने हेतु वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एकल शेयरधारकों के लिए लॉग-इन विधि निम्नानुसार है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगइन का तरीका
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	<p>1) ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या e-Voting service i.e. NSDL, पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता NSDL की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-सेवाओं के होम पेज पर “Login” के अंतर्गत “Beneficial Owner” आइकन पर क्लिक करें जो ‘IDeAS’ सेक्शन में उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या e-Voting service provider i.e. NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>3) यदि यूजर IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “Register Online for IDeAS Portal” का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>4) एनएसडीएल हेतु ई-वोटिंग वेबसाइट पर क्लिक करें। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेबब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, ‘शेयर होल्डर्स/मेम्बर्स’ खंड में उपलब्ध ‘लॉगइन’ आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूजर आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।</p>

	<p>5) बाधारहित वोटिंग अनुभव के लिए 'शेयर होल्डर्स/मेम्बर्स' नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप सुविधा "NSDL Speede" डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>App Store</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Google Play</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div>
<p>सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का चयन करने वाले उपयोगकर्ता अपने वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगइन कर सकते हैं। आगे बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध होगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉगइन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर विजिट करें तथा लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और New System myeasi का चयन करें तथा फिर अपने मौजूदा my easi यूज़रनेम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2) सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद ईजी/ईजीएस्ट यूज़र पात्र कम्पनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहाँ कम्पनी द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया चल रही होगी। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूज़र रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में एक्सेस के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि यूज़र सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट देख सकें। 3) यदि यूज़र ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर login & New System Myeasi Tab पर क्लिक करके और फिर registration पर क्लिक द्वारा पंजीकरण हेतु विकल्प उपलब्ध है। 4) इसके अलावा, यूज़र www.cdslindia.com पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नंबर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूज़र ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहाँ ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।

एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद दुबारा एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर आगे पहुंचेंगे।
---	--

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में कोई तकनीकी समस्या हो रही है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या दूरभाष नंबर : 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों के लॉगइन करने में कोई तकनीकी समस्या हो रही है, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर : 1800-21-09911 पर कॉल कर सकते हैं।

बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने और ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग में कैसे लॉगइन करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप कर वेबब्राउज़र खोलें
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, 'शेयर होल्डर्स/मेम्बर्स' खंड में उपलब्ध 'लॉगइन' आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड डालें।

विकल्प के तौर पर यदि आप एनएसडीएल की ई-सर्विस अर्थात् आईडीईएस हेतु पंजीकृत हैं तो आप <https://eservices.nsdl.com> पर अपने मौजूदा आईडीईएस के साथ लॉगिन कर सकते हैं। अपने लॉगइन क्रिडेंशियल का प्रयोग करके एनएसडीएल के ईसर्विस पर लॉगइन करने के बाद ई-वोटिंग पर क्लिक करें और अब आप दूसरे चरण अर्थात इलैक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी विवरण निम्नानुसार हैं:

शेयर धरण करने का प्रकार अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी
ए) वो सदस्य जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर धरण किए हुए हैं।	8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और क्लायंट आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी आईएन300***12***** होगी।
बी) वो सदस्य जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर धरण किए हुए हैं।	16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशिएरी आईडी 12***** है, तो आपकी यूजर आईडी 12***** होगी।
सी) वो सदस्य जो भौतिक रूप से शेयर धरण किए हुए हैं।	ईवीईएन संख्या और उसके बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो आपकी यूजर आईडी 101456001*** होगी।

5. एकल शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- ए) यदि आप पहले से ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत हैं तो आप लॉगइन करने और वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- बी) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको 'इनिशियल पासवर्ड' रिट्रिव करना होगा जो कि आपको भेजा जाएगा। जब आपका 'इनिशियल पासवर्ड' रिट्रिव हो जाएगा तो आपको 'इनिशियल पासवर्ड' दर्ज करना होगा और फिर सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- सी) अपने 'इनिशियल पासवर्ड' को कैसे रिट्रिव करें?
- (i) यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल की ओर से आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक .pdf फ़ाइल खोलें। पीडीएफ फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'इनिशियल पासवर्ड' होता है।
- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों, जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

6. यदि आप 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं कर पाएँ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो:

- ए) **“Forgot User Details/Password”** पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- बी) **“Physical User Reset Password”** (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धरण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

- सी) यदि आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.com पर अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं।
- डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, "नियम और शर्तों" से सहमत वाले चेक बॉक्स को चयन करते हुए टिक करें।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में जुड़ें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में जुड़ें?

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय अवस्था में है।
2. उस कंपनी का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डाल रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "ज्वाइन मीटिंग" के तहत रखे गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "Submit" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को वोट करने हुए विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्कूटिनाइज़र को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net को evoting@nsdl.com पर कॉपी मार्क करते हुए भेजा जाना अपेक्षित है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने बोर्ड के संकल्प / मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि को अपने लॉगिन में "e-Voting" टैब के तहत प्रदर्शित "Upload Board Resolution / Authority Letter" पर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं।
2. कड़ाई से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, आपको "**Forgot User Details/Password**" या "**Physical User Reset Password**" पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

- कोई दुविधा होने की स्थिति में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com (एनएसडीएल अधिकारी का नाम) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु तथा इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया :

- यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल द्वारा Headoffice.share@bankofindia.bank.in पर प्रदान करें।
- यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी) Headoffice.share@bankofindia.bank.in पर प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले एक एकल शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप **चरण 1 (ए)** में बताई गई लॉगिन विधि को देखें, अर्थात् **डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले एकल शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।**
- उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ईजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं: -

- ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के समान ही है।
- केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला तथा उन्हें अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं किया गया हो तो वो ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे ईजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति का ही विवरण है।

सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए** ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "Join Meeting" मेनू के तहत रखे गए "VC/OAVM" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/मेम्बर लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. मेंबर्स को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा मेंबर्स को बैठक के दौरान किसी भी अवरोध से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उक्त अवरोधों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051
Head Office : Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of **Bank of India** will be held on Friday, the **7th November, 2025** at **1:00 PM** through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following

Special Business

Item No. 1

To elect **one Director** from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015 and dated July 20, 2016 and any amendments made thereunder (hereinafter referred to as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification and Guidelines be and is hereby elected as Director of the Bank to assume office from November 29, 2025 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

The aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

Item No. 2

Extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the extension of term of Shri P. R. Rajagopal as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.4/4(x)/2024-BO.I dated 15.09.2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] beyond his previously notified term which expires on 28.02.2026, till the date of superannuation i.e., 31.07.2027, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved".

Item No. 3

Extension of term of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the extension of term of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank under Section 9 (3)

(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.4/4(iii)/2024-BO.I dated 15.09.2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] beyond his previously notified term which expires on 20.11.2025, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved”.

By Order of the Board of Directors
For Bank of India,



(Rajneesh Karnatak)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 10th October, 2025

NOTES

EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM):

MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the Circular No. 03/2025 dated 22nd September 2025, permitted companies to hold their EGM through VC/OAVM.

In compliance with the above guidelines, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The deemed venue for the **EGM shall be the Head Office of the Bank at Mumbai.**

2. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above,

- a) each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date** i.e., on **Monday, the 13th October, 2025** will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of one Shareholders' Director of the Bank (Elections) and
- b) each shareholder who has been registered as a shareholder as on the **cut-off Date** i.e., **Friday, 31st October, 2025** will be entitled to vote on item no. 2 & 3 of the Notice

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, Shareholder can attend and vote at the meeting directly and there is no requirement to appoint a Proxy to attend or vote on his / her behalf.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to headoffice.share@bankofindia.bank.in, on or before 5.00 PM on Saturday **1st November, 2025.**

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, no Attendance Slip is required to attend the EGM.

6. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Bigshare Services Private Limited,
Unit : Bank of India,
Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093.
Tel : 022 - 62638200, E mail: investor@bigshareonline.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

EXPLANATORY STATEMENT

● ELECTION OF DIRECTOR:

Item No.1

Public shareholding in Bank of India is 26.62% as on 30-09-2025. The Bank is eligible to elect two shareholder directors. One of the present shareholder director, Shri Vishwanath V Shenoy, is completing his term on 28.11.2025.

With a view to fill in the vacancy, as approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th September 2025, your Bank proposes to conduct Election of one Shareholder Director at an Extraordinary General Meeting (EGM) to be convened on Friday, 7th November, 2025.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced elsewhere in this Notice.

One Director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their 'Fit & Proper' Status by the Nomination & Remuneration Committee of the Board or in case of more than one valid candidates, at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall assume office from 29th November 2025 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

● LEGAL PROVISION

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e)	➤ Substantial Interest
	Section 16 (1)	➤ Prohibition of Common Directors
	Section 20	➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	➤ Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	➤ No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A) (A) to (C)	➤ Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA)	➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having 'fit and proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe
	Section 9(3AB)	➤ The authority to determine the fit and proper status,
	Section 9(3B)	➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	➤ Term of office of elected directors
	Clause 10	➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	➤ Vacation of office of Director
	Clause 11A	➤ Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	➤ Filling of vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007	Regulation 10	➤ Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	➤ Voting at General Meetings
	Regulation 63	➤ Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	➤ List of Shareholders
	Regulation 65	➤ Nomination of candidates for election
	Regulation 66	➤ Scrutiny of nominations
	Regulation 67	➤ Election disputes
	Regulation 68	➤ Determination of voting rights
	Regulation 69	➤ Voting by duly authorized representative
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and 20 th July 2016.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014 - Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation the Scheme as well as RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and GOI Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 will be hosted in the Bank's website. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of India at their Head Office at Headoffice.share@Bankofindia.bank.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **Thursday, 23rd October , 2025**.

- **SPECIFIED / CUT OFF DATE**

The bank has fixed the following specified / cut-off dates:

For agenda Item No. 1:

Monday, October 13, 2025 for determining the list of Shareholders entitled to participate in the election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.

For agenda Item No. 2 & 3:

Friday, October 31, 2025 for Voting.

● **PARTICIPATION IN ELECTION:**

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified Date i. e., on Monday, 13th October, 2025 for item No. 1 shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

a) QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall-

- have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: -
 - o agriculture and rural economy
 - o banking
 - o co-operation
 - o economics
 - o finance
 - o law
 - o small scale industry
 - o Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank. (RBI vide its circular no.DBR.APPT.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)
- Represents the interest of depositors; or
- Represents the interest of farmers, workers and artisans.

b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish Annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

c) DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank; and

- If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks by the **Nomination and Remuneration Committee of the Board** of the Bank.

d) List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, as amended, the List of Shareholders will be available from 16th October, 2025 from the General Manager, Finance Department at Head Office of the Bank in electronic form, on demand, for a price of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) plus taxes as applicable. For printed sheets, @ Rs.20/- per page plus taxes as applicable on A-4 size paper size by Demand Draft / Pay Order in favor of Bank of India payable at Mumbai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used only in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) from October 16, 2025 to November 6, 2025 between 3.00 P. M. to 5.00 P.M for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders at Head Office of the Bank. Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Company Secretary of the Bank at headoffice.share@bankofindia.bank.in and on 022-66684490 at least one working day before the day of inspection.

e) NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and letter dated 3rd September 2013 vide Ref F No. 16/83/2013- BO.I issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issues on March 25, 2015 and July 20, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- o He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Monday, the October 13, 2025** being the Specified Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- o The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- o The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations/ RBI Notification and GOI Guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- o As on **Thursday, 23rd October, 2025**, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.
- o The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this notice.

- o He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as “the Regulations”) and Notification RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines dated 25.03.2015, Revised Guidelines dated 8th July 2016 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012- BO.I. dated 20th July 2016 and any amendment thereof as applicable to Non Official Directors, from being elected as a director.

f) SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** super scribing thereon “**Bank of India Election of Director – November 2025**” in person or through speed Post / Courier addressed to **The Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House-1, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051** on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before 5.00 p.m., on **Thursday, the 23rd October, 2025**:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nomination from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.
- d) Self-attested copies of KYC documents like PAN Card, Aadhar Card, Passport, Driving License and copy of Demat Statement evidencing holding of BOI Shares
- e) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

g) SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR:

- a) Nominations shall be scrutinized on Friday, the 24th October, 2025, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank will consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates
- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- d) **If there is only one valid nomination for the said vacancy to be filled by the election, the Candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. [Regulation 66 (i)].**
- e) If there are more than one valid nomination, Election will be held and Candidate polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.
- f) The newly elected Director will assume office only **w.e.f. November 29, 2025**.

h) Remote - E Voting and Voting at EGM

In the event Elections are held the same will be held through remote e-voting and Voting at the meeting.

Instructions for Remote E-voting and the details thereof forming integral part of this notice is being provided elsewhere in this notice.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, with the assistance from an Independent Consultant (Scrutinizer) appointed for the said purpose by the Bank.

➤ **Voting Process on 07th November, 2025**

The voting for Election of Director shall be done through E-Voting. It will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the Meeting and continue for a period of 15 minutes after the end of the Meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on the Specified Date i.e., on **Monday, 13th October, 2025**.

The tabulation of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman of the Meeting or any other Official of the Bank authorised in this behalf and published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

i) **Withdrawal of Candidature**

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time i.e. on or before 5.00 p.m., on **Friday, 31st October, 2025** by sending a signed letter addressed to **The Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051** or sending scanned and signed letter over e-mail at HeadOffice.Share@bankofindia.bank.in.

j) **Disputes:**

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.

k) **Extracts:**

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

l) **Interest of Directors:**

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

Item No. 2

To approve the extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

The Government of India vide its notification dated 15th September 2025 has extended the term of office of Shri P R Rajagopal, Executive Director of Bank of India, beyond his currently notified term which is ending on 28.02.2026, till the date of superannuation, i.e., 31.07.2027 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or reappointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the EGM for extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

BRIEF PROFILE:

Shri P R Rajagopal, aged 58 years, has experience of over 3 decades in banking. He started his career in Bank of India as an officer in 1995 and became Senior Manager in 2000. Seconded to Indian Banks' Association as Legal Adviser and was with IBA till 2004 till repatriation to Bank of India. He joined Union Bank of India in 2004 and elevated to the rank of General Manager in the year 2016. On elevation to the position of Executive Director, he joined Allahabad Bank on 01.03.2019. He has taken charge as Executive Director, Bank of India on March 18, 2020.

Other than **Shri P R Rajagopal** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No. 3

To approve the extension of term of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.

The Government of India vide its notification dated 15th September 2025 has extended the term of office of Shri Subrat Kumar, Executive Director of Bank of India, for a period of three years beyond his currently notified term which is ending on 20.11.2025 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Public Sector Company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or reappointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the EGM for extension of term of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.

BRIEF PROFILE:

Shri Subrat Kumar has been appointed as Executive Director of Bank of India and assumed charge on 21.11.2022. Shri Kumar is a B.Sc., MBA (Finance) & CAIIB qualified Banker. He has over 30 years of experience in Commercial Banks / Asset Management Co. During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in all important spheres of operational and strategic Banking with expertise in Treasury, Risk Management, Credit Monitoring & Corporate Credit. He successfully handled the responsibilities such as Regional Head, Patna, Head of Treasury, Audit & Inspection, Credit Monitoring & Corporate Credit. He held the position of Chief Risk Officer and Chief Financial Officer (CFO) of Bank of Baroda as well. He was also on the Boards of FIMMDA and BoB Capital Markets Ltd.

Other than **Shri Subrat Kumar** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors
For Bank of India,



(Rajneesh Karnatak)
(Managing Director & CEO)

Place : Mumbai
Date : 10th October , 2025

ELECTION OF DIRECTOR – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

1. THE BANKING REGULATION ACT, 1949

“Substantial Interest” — Section 5 (ne)

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid upon which exceeds two crore rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;

A) Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

B) Restrictions on Loans and Advances – Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company (not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company, of which (or the subsidiary or the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

PROVIDED that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

PROVIDED FURTHER that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
 - b) “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

A) Restrictions on voting rights

3(2E)-No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

B) Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- I. not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- II. more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- III. more than thirty-two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

PROVIDED FURTHER that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -
 - (i). Agriculture and rural economy
 - (ii). Banking
 - (iii). Co-operation
 - (iv). Economics
 - (v). Finance
 - (vi). Law

(vii). Small scale industry

(viii). *Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.

*(RBI vide its circular no. DBR.APPT.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) Represents the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'Fit and Proper' status based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Extraordinary General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

C) Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

A) Term of office of elected Director

Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

B) Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

C) Vacation of office of Directors**Clause 11**

- 1) If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3) Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4) Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

D) Removal from office of an elected Director**Clause 11A:**

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

E) Filling of vacancy in the office of an elected Director**Clause 11B**

- 1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.
- 2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

F) Disclosure of interest by Directors**Clause 12(8)**

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i). a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

- (ii). an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

4. **BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2007**

A) Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank of India except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

B) Directors to be elected at general meeting

Regulation 63

- (i). A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the General Meeting of Bank of India.
- (ii). Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

C) List of shareholders

Regulation 64

- (i). For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii). The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

D) Nomination of candidates for election:

Regulation 65:

- i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Bank of India
 - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank of India and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Bank of India on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

E) Scrutiny of Nominations:

Regulation 66:

- (i). Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii). In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii). A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

F) Election Disputes

Regulation 67:

- (i). if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Bank of India and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii). On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Bank of India shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii). The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv). An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

G) Voting Rights of Shareholders: Determination of voting rights:

Regulation 68:

- (i). Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii). Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation – for this chapter, “Company” means anybody corporate.

- (iii). Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

H) Voting by duly authorized representative:

Regulation 69:

- (i). A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Bank of India. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- (ii). No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Bank of India as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank of India not less than four days before the date fixed for the meeting.

I) RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

1. Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination and Remuneration committee" (Committee) consisting of a minimum of three non executive directors from amongst the Board of Directors for undertaking the process of due diligence to determine 'fit and proper' status of the candidate. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other non-executive Director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

2. Manner and procedure:

The Bank will obtain necessary information, and declaration & undertaking in format given in **Annexure-A** from the persons who file their nomination for election. The committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned in the RBI circular.

The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

3. Criteria

The committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidate based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) **Educational qualification** – The candidate should at least be a graduate.

Experience and field of expertise – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

- (a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

- (b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
- (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (including the bank in which he/she has served as director in the past) /FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc).
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

- 4. **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years (Clause 9(4) of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80), whether served continuously or intermittently.

5. Professional Restrictions –

- a. The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.
- b. The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

- 6. **Track record and integrity** - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/ agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) Deed of Covenant executed in the format given in Annex 2 to the RBI circular, before such person assumes office of director
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annex 1 incorporating the changes.

Further, the Circular also provides that the Banks shall also Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949.

In addition,

- (d) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (e) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (f) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Further the Circular provides that

Where the elected director:

- (a) fails to
 - (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR- GOI guidelines dated June 01, 2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated September 03, 2013 and revised vide MOF Letter No.F.No.16/51/2012-BO.I dated March 25, 2015 and July 20, 2016 (the extant Government of India guidelines)

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/ financial institutions etc.

GENERAL

1. Persons of eminence with special academic, training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, and business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of Industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turn around in a failing organization) would be preferred.
2. Retired Senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians, Directors of premier Management Banking Institutes and professors having more than 20 years' experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

EDUCATION

5. An NOD Should be at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT

AGE

6. The age of the Director, on the date of recommendation by Committee should not be more than 67 years.

WORK EXPERIENCE

7. Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

DISQUALIFICATION

8. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company.
9. Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
10. No person may be re- nominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI/ RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

Tenure

11. Director on the board of any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

Professional Restriction

12. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non official Director in any Nationalized Bank/ PSB.
13. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalized Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non Official Director in the same Bank.

As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank will consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates



NOMINATION FORM

To,
Managing Director & CEO,
Bank of India, Head Office,
Star House, Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400051.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your EGM Notice dated **10th October, 2025**, I,a shareholder of Bank of India holding equity shares of Rs. 10/- each as on **Monday, 13th October, 2025 i.e., the Specified Date** for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. son / daughter / wife of Shri residing at for being elected as a Director of Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **07th November, 2025**.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

Declaration Form

I, son / daughter / wife of Shri /
Smt. resident of

.....
.....hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding equity shares of the Bank on **Monday, 13th October, 2025** i.e., the Specified date for participating in the elections, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) Information Technology (ix) Payment & Settlement Systems (x) Human Resources (xi) Risk Management and (xii) Business Management or (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of Bank of India; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2008 and Notification issue by RBI and GOI Guidelines.
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

- h. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court; and
- i. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- j. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- k. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities; and

- l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank; and
- m. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently; and
- n. I am not engaging in the business of stock broking; and
- o. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.); and
- p. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India; and
- q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of India in which nomination for election is filed; and
- r. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with Bank of India nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with the Bank; and
- s. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution; and
- v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director; and
- w. I undertake to comply with the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended till I hold the position of Director of the Bank
- x. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- y. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the company, bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

Add additional sheet, if necessary.

z. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of India or any Nationalized Bank.

***Delete whichever is not applicable.**

Name of Bank: **Bank of India**

Declaration and Undertaking' by a proposed Director
(with appropriate enclosures)

Sr No	Particulars	Information Disclosed								
I.	Personal Details									
a.	Name in full	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">First Name</th> <th style="width: 33%;">Middle Name</th> <th style="width: 33%;">Last Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	First Name	Middle Name	Last Name					
First Name	Middle Name	Last Name								
	Father's name									
	Gender (M/F/others)									
b.	Present address									
c.	Nationality									
d.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and age	__/__/____ Age: ___ years ___ months ___ days								
e.	Educational qualifications									
f.	Director Identification Number (DIN)									
g.	Aadhaar Number									
h.	i. Permanent Account Number (PAN) ii. Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward iii. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Date of filing</th> <th style="width: 50%;">Amount of tax paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Date of filing	Amount of tax paid (INR)						
Date of filing	Amount of tax paid (INR)									
i.	Permanent address									
j.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number									
k.	Relevant Knowledge and Experience [Refer <ul style="list-style-type: none"> ● Section 10A(2) of Banking regulation Act, 1949, ● Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/80, ● Section 19A(a) of the SBI Act, 1955, as the case may be, read with RBI Circular DBR . Appt . BC No 39 / 29.39.001 / 2016-17 dated November 24, 2016 on special knowledge or practical experience useful to banking companies] 									
l.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)									
m.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.									

Sr No	Particulars	Information Disclosed			
n.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
o.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
p.	Details of Demat account(s) held if any (attach copy)				
q.	Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)				
r.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
II.	Relevant Relationships of proposed director				
a.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
b.	i. List of entities in which interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: ii. beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: iii. Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				
c.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 <i>"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds two crore rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.</i>	Name of the company/firm			
		Country of incorporation			
		Number of shares			
		Face Value of each share			
		Total face value of share holding			
		Shareholding as % of total Paid up Capital			
		Beneficial interest (in value as well as % terms)			
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013			
d.	Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India				
e.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).				
f.	Fund and non-fund based facilities, if any, presently availed of by him /her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank				
g.	Cases, if any, where he / she or entities listed in II(b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10years in respect of credit facilities obtained from the bank / any other bank / NBFC / any other lending institution				
h.	Cases, if any, where he / she is a defaulter or has been declared as wilful defaulter by any Bank / NBFC/any other lending institution.				

Sr No	Particulars	Information Disclosed
III.	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV.	Proceedings, if any, against the proposed director	
a.	As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any professional/ occupation at any time, details thereof	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at II(b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her.	
d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013?	
e.	Whether he/she or any of the entities at II(b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government Department or agency?	
f.	Whether he / she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars.	
g.	Whether he /she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'Fit and Proper'	
	Undertaking	
	I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit / investment decisions involving entities in which I am interested.	
	I also undertake to execute the 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.	
	Place:	Signature of Proposed Director
	Date:	
VI.	Remarks of Nomination and Remuneration Committee / Nomination Committee of the Bank	
	Place:	Signature
	Date:	

ANNEX 2

FORM OF DEED OF COVENANTS WITH A DIRECTOR

THIS DEED OF COVENANTS is made this day ofTwo thousand Twenty Four BETWEEN **Bank of India**, having its registered office at **Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051** (hereinafter called the 'Bank') of the one part and Mr. / Ms. of (hereinafter called the 'Director') of the other part.

WHEREAS

- A. The director has been appointed as a director on the Board of Directors of the Bank (hereinafter called 'the Board') and is required as a term of his / her appointment to enter into a Deed of Covenants with the Bank.
- B. The director has agreed to enter into this Deed of Covenants, which has been approved by the Board, pursuant to his said terms of appointment.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND THIS DEED OF COVENANTS WITNESSETH AS FOLLOWS:

- 1. The director acknowledges that his / her appointment as director on the Board of the Bank is subject to applicable laws and regulations including the Memorandum and Articles of Association of the Bank and the provisions of this Deed of Covenants.
- 2. The director covenants with the Bank that:
 - (i) The director shall disclose to the Board the nature of his / her interest, direct or indirect, if he / she has any interest in or is concerned with a contract or arrangement or any proposed contract or arrangement entered into or to be entered into between the Bank and any other person, immediately upon becoming aware of the same or at meeting of the Board at which the question of entering into such contract or arrangement is taken into consideration or if the director was not at the date of that meeting concerned or interested in such proposed contract or arrangement, then at the first meeting of the Board held after he / she becomes so concerned or interested and in case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board held after the director becomes concerned or interested in the contract or arrangement.
 - (ii) The director shall disclose by general notice to the Board his / her other directorships, his / her memberships of bodies corporate, his / her interest in other entities and his / her interest as a partner or proprietor of firms and shall keep the Board apprised of all changes therein.
 - (iii) The director shall provide to the Bank a list of his / her relatives as defined in the Companies Act, 2013 and rule 4 of the Companies (specification of definition) rules, 2014 and to the extent the director is aware directorships and interests of such relatives in other bodies corporate, firms and other entities.
 - (iv) The director shall in carrying on his / her duties as director of the Bank:
 - (a) use such degree of skill as may be reasonable to expect from a person with his / her knowledge or experience;
 - (b) in the performance of his / her duties take such care as he / she might be reasonably expected to take on his / her own behalf and exercise any power vested in him / her in good faith and in the interests of the Bank;
 - (c) shall keep himself / herself informed about the business, activities and financial status of the Bank to the extent disclosed to him / her;
 - (d) attend meetings of the Board and Committees thereof (collectively for the sake of brevity hereinafter referred to as ' Board ') with fair regularity and conscientiously fulfil his / her obligations as director of the Bank;
 - (e) shall not seek to influence any decision of the Board for any consideration other than in the interests of the Bank;
 - (f) shall bring independent judgment to bear on all matters affecting the Bank brought before the Board including but not limited to statutory compliances, performance reviews, compliances with internal control systems and procedures, key executive appointments and standards of conduct;
 - (g) shall in exercise of his / her judgment in matters brought before the Board or entrusted to him / her by the Board be free from any business or other relationship which could materially interfere with the exercise of his / her independent judgment; and

- (h) shall express his / her views and opinions at Board meetings without any fear or favour and without any influence on exercise of his / her independent judgment;
 - (v) The director shall have:
 - (a) fiduciary duty to act in good faith and in the interests of the Bank and not for any collateral purpose;
 - (b) duty to act only within the powers as laid down by the Bank's Memorandum and Articles of Association and by applicable laws and regulations; and
 - (c) Duty to acquire proper understanding of the business of the Bank.
 - (vi) The director shall:
 - (a) not evade responsibility in regard to matters entrusted to him / her by the Board;
 - (b) not interfere in the performance of their duties by the whole-time directors and other officers of the Bank and wherever the director has reasons to believe otherwise, he / she shall forthwith disclose his / her concerns to the Board; and
 - (c) not make improper use of information disclosed to him / her as a member of the Board for his / her or someone else's advantage or benefit and shall use the information disclosed to him / her by the Bank in his / her capacity as director of the Bank only for the purposes of performance of his / her duties as a director and not for any other purpose.
3. The Bank covenants with the director that:
- (i) The Bank shall apprise the director about :
 - (a) Board procedures including identification of legal and other duties of Director and required compliances with statutory obligations;
 - (b) control systems and procedures;
 - (c) voting rights at Board meetings including matters in which Director should not participate because of his / her interest, direct or indirect therein;
 - (d) qualification requirements and provide copies of Memorandum and Articles of Association;
 - (e) corporate policies and procedures;
 - (f) insider dealing restrictions;
 - (g) constitution of, delegation of authority to and terms of reference of various committees constituted by the Board;
 - (h) appointments of Senior Executives and their authority;
 - (i) remuneration policy,
 - (j) deliberations of committees of the Board, and
 - (k) Communicate any changes in policies, procedures, control systems, applicable regulations including Memorandum and Articles of Association of the Bank, delegation of authority, Senior Executives, etc. and appoint the compliance officer who shall be responsible for all statutory and legal compliance.
 - (ii) the Bank shall disclose and provide to the Board including the director all information which is reasonably required for them to carry out their functions and duties as a directors of the Bank and to take informed decisions in respect of matters brought before the Board for its consideration or entrusted to the director by the Board or any committee thereof;
 - (iii) the disclosures to be made by the Bank to the directors shall include but not be limited to the following:
 - (a) all relevant information for taking informed decisions in respect of matters brought before the Board;
 - (b) Bank's strategic and business plans and forecasts;

- (c) organisational structure of the Bank and delegation of authority,
 - (d) corporate and management controls and systems including procedures;
 - (e) economic features and marketing environment,
 - (f) information and updates as appropriate on Bank's products;
 - (g) information and updates on major expenditure;
 - (h) periodic reviews of performance of the Bank; and
 - (i) report periodically about implementation of strategic initiatives and plans;
- (iv) the Bank shall communicate outcome of Board deliberations to directors and concerned personnel and prepare and circulate minutes of the meeting of Board to directors in a timely manner and to the extent possible within two business days of the date of conclusion of the Board meeting; and
- (v) Advise the director about the levels of authority delegated in matters placed before the Board.
4. The Bank shall provide to the director periodic reports on the functioning of internal control system including effectiveness thereof.
 5. The director shall not assign, transfer, sublet or encumber his / her office and his / her rights and obligations as director of the Bank to any third party provided that nothing herein contained shall be construed to prohibit delegation of any authority, power, function or delegation by the Board or any committee thereof subject to applicable laws and regulations including Memorandum and Articles of Association of the Bank.
 6. The Chartered Accountant firm, in which the director is a partner, shall not undertake Statutory Central Audit in any public sector bank / shall not undertake Statutory Branch Audit or Concurrent Audit in the bank during current directorship of the bank.
 7. The failure on the part of either party hereto to perform, discharge, observe or comply with any obligation or duty shall not be deemed to be a waiver thereof nor shall it operate as a bar to the performance, observance, discharge or compliance thereof at any time or times thereafter.
 8. Any and all amendments and / or supplements and / or alterations to this Deed of Covenants shall be valid and effectual only if in writing and signed by the director and the duly authorized representative of the Bank.
 9. This Deed of Covenants has been executed in duplicate and both the copies shall be deemed to be originals.

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES HAVE DULY EXECUTED THIS AGREEMENT ON THE DAY, MONTH AND YEAR MENTIONED ABOVE.

For the Bank	Director
By
Name:	Name:
Title:	
In presence of :	
1.	2.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AND JOINING GENERAL MEETING ARE AS UNDER:-

The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

The remote e-voting period begins on Monday, 3rd November,2025 at 09:00 A.M. and ends on Thursday, 06th November,2025 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. October 13, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being October 13, 2025.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:





Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="427 1002 1500 1218">1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. <li data-bbox="427 1228 1500 1493">2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. <li data-bbox="427 1504 1500 1591">3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp <li data-bbox="427 1601 1500 1866">4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

	<p>5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>App Store</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Google Play</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div>
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers’ website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants</p>	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the ‘initial password’ which was communicated to you. Once you retrieve your ‘initial password’, you need to enter the ‘initial password’ and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your ‘initial password’?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your ‘initial password’ is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your ‘User ID’ and your ‘initial password’.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the “ Initial password” or have forgotten your password:
 - a) Click on “**Forgot User Details/Password?**”(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to “Terms and Conditions” by selecting on the check box.
 8. Now, you will have to click on “Login” button.
 9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select “EVEN” of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “[Forgot User Details/Password?](#)” or “[Physical User Reset Password?](#)” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to (Name of NSDL Official) at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.bank.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Headoffice.share@bankofindia.bank.in. If you are an Individual shareholders

holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under "**Join meeting**" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.